

वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2025-26



उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01400RJ2020PTC071310

**पंजीकृत कार्यालय: प्रथम मंजिल, प्लॉट नंबर 110-111 A, आर.के.पुरम,
काला बादल सामुदायिक भवन के पास, कोटा राजस्थान 324010**

ईमेल: info@ujalaamilk.com

निदेशक मंडल

1.	श्रीमती अनीता कुमारी	:	निदेशक
2.	श्रीमती श्वेता शर्मा	:	निदेशक
3.	श्रीमती सविता चौधरी	:	निदेशक
4.	श्रीमती अनुराधा मीणा	:	निदेशक
5.	श्रीमती विद्या भंवर	:	निदेशक
6.	श्रीमती संगीता कुमारी दाँगी	:	निदेशक
7.	श्रीमती रीना कुमारी	:	निदेशक
8.	श्रीमती उर्मिला कुमारी मीणा	:	निदेशक
9.	श्री नरेंद्र सिंह बहघा	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता	:	विशेषज्ञ निदेशक
11.	श्री दिनेश चन्द्र चौधरी	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

वैधानिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एस एन धवन एंड कं
एल एल पी, चार्टर्ड एकाउंटेंट गुरुग्राम
आंतरिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एन.आर. & एसोशिएट,
चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली

कंपनी सचिव
श्री विपुल जैन

बैंकर्स
बैंक ऑफ़ इंडिया, एच डी एफ सी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़
इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा,

पंजीकृत कार्यालय
प्रथम मंजिल, प्लॉट नंबर 110-111, ए, आर.के.पुरम, काला बादल सामुदायिक भवन के पास, कोटा
राजस्थान 324010

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01400RJ2020PTC071310

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, प्लॉट नं. 110,111-A, आर.के.पुरम, काला बादल सामुदायिक भवन के पास, कोटा
राजस्थान 324010

ईमेल: info@ujalaamilk.com, दूरभाष : 0744 3500198/99

सूचना

यह सूचना दी जाती है कि उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की सतवी वार्षिक आम सभा को सोमवार सितंबर माह की 28 तारीक को होटल 5 फ्लावर अनन्ता इलाइट, एसपी-03, चंबल इंडस्ट्रियल एरिया, नया बस स्टैंड कोटा, राजस्थान-324 007 में 12:30 बजे निम्नलिखित व्यवसाय हेतु बुलाई जाती है :

1. **31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए अवधि के बैलेंस शीट एवं कंपनी के लाभ एवं हानि खाते के साथ उपलब्ध एवं आवश्यक नोट, निदेशकों तथा लेखा परीक्षक के रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने एवं उसे अपनाने एवं अगर उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु:-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई अवधि के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाते तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट एवं उसके अनुलग्नित नोट, शीड्यूल एवं निर्देशकों एवं कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है।”

2. **सीमित प्रतिफल (लाभांश) के भुगतान पर विचार एवं सिफारिश करने के लिए एवं अगर उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु:-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वर्तमान मुनाफे में से ₹ 7/- प्रति इक्विटी शेयर, 100 रुपये के 3,78,794 इक्विटी शेयरों एवं अवशोषित रु26,51,558/- लाभांश की घोषणा को स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है । लाभांश उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में उलेखित हैं।”

3. **कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की 5 वर्ष की अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन एवं अगर उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु:-**

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण सं. 000050N/N500045), को इस 7वीं वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति से 12वीं वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु बोर्ड द्वारा निर्णीत ऐसे पारिश्रमिक पर, एतद्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है।”

4. नामांकन समिति के गठन के अनुसमर्थन हेतु विचार करना एवं अगर उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी की छठी सालाना आम सभा में सदस्यों द्वारा मंजूर की गई गाइडलाइंस के अनुसार—जिसमें तय योग्यता के आधार पर बोर्ड में खाली पदों को भरने के लिए योग्य सदस्यों से मिले आवेदनों की जांच करने के लिए एक नॉमिनेशन कमेटी बनाने की बात थी—और कंपनी के प्रस्तावित मर्जर (विलय) को ध्यान में रखते हुए, सदस्य प्रस्तावित मर्जर की अवधि के दौरान नॉमिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत से छूट को मंजूरी देते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं।

“आगे पारित किया जाता है कि, ऊपर बताई गई अवधि के दौरान, नॉमिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत और ऐसी कमेटी के ज़रिए बोर्ड की खाली जगहों को भरने के लिए आवेदनों की जांच करने की प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, क्योंकि प्रस्तावित मर्जर को देखते हुए बोर्ड की खाली जगहों को भरने की सामान्य प्रक्रिया अपनाए जाने की उम्मीद नहीं है।

“आगे पारित किया जाता है कि, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को अलग-अलग तौर पर यह अधिकार दिया जाता है कि वे इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी, उचित या सुविधाजनक सभी कदम उठाएं, सभी डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग, घोषणाएं और लिखित कागजात तैयार करें और सभी ज़रूरी काम, गतिविधियां और मामले निपटाएं।”

5. श्रीमती अनुराधा मीणा (DIN 10274642), जो की रोटेशन से रिटायर हो रही हैं एवं खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश किया हैं , एवं अगर उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा मीणा (DIN 10274642), कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा रिटायर हो रही हैं एवं अयोग्य होने के कारण दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को पेश नहीं कर रही हैं, और इसके परिणामस्वरूप यह पद खाली रहेगा।”

6. श्रीमती विद्या भंवर (DIN 10274867), जो की रोटेशन से रिटायर हो रही हैं एवं खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश किया हैं , एवं अगर उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती विद्या भंवर (DIN 10274867), कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा रिटायर हो रही हैं एवं अयोग्य होने के कारण दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को पेश नहीं कर रही हैं, और इसके परिणामस्वरूप यह पद खाली रहेगा।”

7. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन एवं अगर उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 की अवधि के लिए कंपनी के बजट को निर्धारित किया गया, जिसे वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है एवं इसके लिए अनुमोदित है।”

8. आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलीन होने वाली कंपनी") का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय प्राप्त करने वाली कंपनी") में विलय पर विचार एवं अनुमोदन एवं अगर उचित समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के 'विशेष प्रस्ताव' के तौर पर पारित करने हेतु।।

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों, एवं मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन ("MoA") एवं आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन ("AoA") के प्रावधानों के अनुसार, और जहाँ भी लागू हो, कंपनी के सदस्यों एवं लेनदारों की मंजूरी एवं अन्य ज़रूरी कानूनी एवं रेगुलेटरी मंजूरी के अधीन, बोर्ड आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहाँ "आशा" या "मर्ज होने वाली कंपनी" कहा गया है) का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहाँ "उजाला" या "मर्ज हुई कंपनी" कहा गया है) के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। प्रभावी तारीख (यानी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के एक महीने बाद या सभी सदस्यों और लेनदारों की सहमति मिलने तक, जो भी पहले हो) से, मर्ज होने वाली कंपनी (अपने सभी कामकाज और पूरे कारोबार सहित) मर्ज हुई कंपनी में विलय हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी एवं उसमें निहित हो जाएगी (या निहित मानी जाएगी)। यह एक चालू कारोबार (गोइंग कंसर्न) के तौर पर होगा, जिसके लिए किसी और काम, दस्तावेज़, डीड या चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बदले में, मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों के पास रिकॉर्ड तारीख को मौजूद हर 1 (एक) पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर (जिसकी फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपये है) के बदले, मर्ज हुई कंपनी का 1 (एक) पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर (जिसकी फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपये है) जारी और अलॉट किया जाएगा (इसे "शेयर एक्सचेंज रेश्यो" कहा गया है), और इसमें (बिना किसी सीमा के) जहाँ लागू हो, ये चीज़ें शामिल होंगी।"

- a) संपत्तियां, जिनमें शामिल हैं (i) सभी संपत्तियां और प्रॉपर्टी, चाहे वे चल हों या अचल, वास्तविक हों या व्यक्तिगत, कब्ज़े में हों या भविष्य में मिलने वाली हों, भौतिक हों या अमूर्त, दिखाई देने वाली हों या न दिखाई देने वाली, वर्तमान हों या आकस्मिक, (ii) सभी प्लॉट और मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, काम जो अभी चल रहा है (work in progress), करंट एसेट्स, कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर उपकरण और पेरिफेरल्स, बीमा पॉलिसी और/या उनसे जुड़े कोई भी क्लेम, टेलीफोन और संचार की अन्य सुविधाएं, ऑफिस के उपकरण, इंस्टॉलेशन, यूटिलिटीज और सर्विस कनेक्शन, (iii) रियायतें, छूट, उपाय, सब्सिडी, ग्रांट, प्रोत्साहन, गारंटी, बॉन्ड, अधिकार और लाइसेंस, रिज़र्व, प्रावधान, फंड, लीज़, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, अनुमति, सहमति, मंजूरी, जो राज्य, केंद्र, नगरपालिका या किसी अन्य अथॉरिटी से उस समय लागू हों, (iv) किरायेदारी के अधिकार, परिसर, हायर परचेज़, उधार देने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लाभ, सुरक्षा अनुबंध, अनुबंध, डीड, व्यवस्था, समझौता ज्ञापन, टेक्नोलॉजी/तकनीकी समझौते, बॉन्ड, शक्तियां, अथॉरिटी, परमिट, आवंटन, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, लाभ, ईज़मेंट (सुविधा का अधिकार) और सभी अधिकार, मालिकाना हक, हित, गुडविल, नॉन-कम्पलीट फीस, लाभ और फायदा, (v) निवेश, प्राप्त होने वाली राशि (receivables), बयाना राशि (earnest money), पैसे के बदले

भुगतान, प्रोटेस्ट मनी, लोन, डिपॉज़िट (सुरक्षा डिपॉज़िट सहित), और दिए गए एडवांस, जिसमें बिना किसी सीमा के उस पर अर्जित ब्याज या कोई अन्य आय, कैश, बैंक बैलेंस, खाते और अन्य सभी अधिकार, सभी समझौतों के लाभ शामिल हैं, (vi) टैक्स और अन्य क्रेडिट (जिसमें इनकम-टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज़ ड्यूटी, एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, विदेशी टैक्स क्रेडिट, इक्लाइज़ेशन लेवी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी बुक प्रॉफ़िट पर टैक्स, स्रोत पर काटा गया टैक्स, स्रोत पर वसूला गया टैक्स आदि से संबंधित क्रेडिट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), किसी भी टैक्स, ड्यूटी, सेस या अन्य शुल्क की वापसी (जिसमें रिफंड के रूप में दावा की गई सभी राशियां शामिल हैं, चाहे वे अकाउंट की किताबों में दर्ज हों या नहीं), (vii) मर्ज होने वाली कंपनी की सभी अकाउंट की किताबें, दस्तावेज़ और रिकॉर्ड, चाहे वे किसी भी तरह के हों और कहीं भी स्थित हों, जो कंपनी के हों या उसके कब्जे में हों या उसके पक्ष में दिए गए हों या जिनका वह इस्तेमाल करती हो, (जिन्हें यहां "संपत्तियां" कहा गया है);

- b) मर्ज होने वाली कंपनी के सभी परमिट, अधिकार, हक, लाइसेंस, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सहमति, मंजूरी, ग्रांट, अलॉटमेंट, सिफ़ारिशें, क्लीयरेंस और किरायेदारी के अधिकार, चाहे वे किसी सरकारी अथॉरिटी से हों या किसी व्यक्ति से;
- c) मर्ज होने वाली कंपनी के सभी विशेषाधिकार और फ़ायदे, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, खरीद और बिक्री के ऑर्डर, मेमोरेण्डम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग, बोली, टेंडर, एक्सप्रेसन ऑफ़ इंटरेस्ट, लेटर ऑफ़ इंटेन्ट, कमिटमेंट, अंडरटेकिंग, डीड, बॉन्ड, किसी भी तरह की व्यवस्था और किसी भी प्रकार या विवरण के अन्य डॉक्यूमेंट (चाहे लिखित, मौखिक या अन्यथा) से या उनके तहत मिलते हों; और अन्य सभी अधिकार, जिनमें बिना किसी सीमा के लीज़ के अधिकार, लाइसेंस और हर तरह की सुविधाएँ शामिल हैं;
- d) किसी भी ऐसे क्लेम का अधिकार जो मर्ज होने वाली कंपनी ने टैक्स, ड्यूटी, सेस या अन्य शुल्क के रिफंड के संबंध में नहीं किया है (जिसमें कंपनी द्वारा किया गया कोई भी ग़लत या ज़्यादा पेमेंट और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल है), जो केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून, एक्ट, नियम या प्रस्ताव से संबंधित हो; और IT एक्ट या अन्य देशों के टैक्स कानूनों के तहत, या उक्त कानूनों या किसी अन्य कानून के तहत सेट-ऑफ़, अनएम्बज़ॉर्ड लॉस और/या अनएम्बज़ॉर्ड डेप्रिसिएशन को आगे ले जाने (कैरी फ़ॉरवर्ड), डेफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कटौती, छूट, रिबेट, अलाउंस, अमॉर्टाइज़ेशन फ़ायदा आदि के संबंध में अधिकार;
- e) सभी कर्ज़ (सिक्क्योर्ड और अनसिक्क्योर्ड), देनदारियां (जिनमें आकस्मिक देनदारियां भी शामिल हैं), शुल्क, मर्ज होने वाली कंपनी के लीज़, एक्सपोर्ट से जुड़ी ज़िम्मेदारियां और किसी भी तरह की, किसी भी प्रकृति या विवरण वाली अन्य सभी ज़िम्मेदारियां। बशर्ते कि, मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा किए गए सिक्क्योरिटी डॉक्यूमेंट्स या व्यवस्थाओं में किसी भी संदर्भ का अर्थ केवल मर्ज होने वाली कंपनी के उस उपक्रम (अंडरटेकिंग) से जुड़ी संपत्तियों या प्रॉपर्टीज़ के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा, जो प्रस्ताव के आधार पर मर्ज की गई कंपनी में निहित (vested) हो गई हैं; और प्रस्ताव का असर मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा लिए गए किसी लोन, डिपॉज़िट या सुविधा

के लिए सिक्योरिटी को बढ़ाने वाला नहीं होगा, जो मर्जर के आधार पर मर्ज की गई कंपनी में निहित हो गई हैं, और मर्ज की गई कंपनी मर्जर के प्रभावी होने के बाद इसके लिए कोई और या अतिरिक्त सिक्योरिटी बनाने के लिए बाध्य नहीं होगी;

- f) किसी भी तरह की अन्य सभी ज़िम्मेदारियां, जिनमें मर्ज होने वाली कंपनी की देनदारियां भी शामिल हैं;
- g) मर्ज होने वाली कंपनी से जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाही, जिनमें टैक्स, अपीलीय, अर्ध-न्यायिक, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही शामिल हैं, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों; और
- h) प्रभावी तिथि (Effective Date) पर, मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियुक्त सभी कर्मचारी (जिनमें ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों में मर्ज होने वाली कंपनी का योगदान भी शामिल है)।

ऊपर बताई गई बातों को सीमित किए बिना, इस प्रस्ताव और नीचे दी गई जानकारी के अनुसार, इस विलय से विलय होने वाली कंपनी की सभी संपत्तियों, एसेट्स, अधिकारों, ग्रांट्स, दावों, कर्तव्यों, दायित्वों, हकदारियों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, फायदों, इंसेंटिव्स, कर्मचारियों, देनदारियों आदि को विलय के बाद बनने वाली कंपनी में।

1. संपत्ति का ट्रांसफर

1.1 ऊपर बताई गई बातों पर असर डाले बिना, (i) मर्ज होने वाली कंपनी की ऐसी संपत्तियां जो चल (movable) हैं या अमूर्त (incorporeal) हैं या जिन्हें हाथ से या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी (constructive delivery) या एंडोर्समेंट और डिलीवरी के ज़रिए ट्रांसफर किया जा सकता है, उन्हें मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा और ट्रांसफर के बाद वे मर्ज की गई कंपनी की संपत्ति का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी, (ii) मर्ज होने वाली कंपनी की सभी अचल संपत्तियां (ज़मीन, इमारत और कोई अन्य अचल संपत्ति सहित), चाहे वे फ्रीहोल्ड हों या लीज़होल्ड, और उनसे जुड़े टाइटल के दस्तावेज़, अधिकार और ईज़मेंट (easements), मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित (vested) हो जाएंगे, या ऐसा माना जाएगा कि वे ट्रांसफर और निहित हो गए हैं, और ट्रांसफर के बाद वे मर्ज की गई कंपनी की संपत्ति का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी, और (iii) ऊपर बताई गई संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां, जिनमें विविध देनदार (sundry debtors), निवेश, बकाया लोन, डिपॉज़िट और एडवांस (अगर कोई हों) शामिल हैं, जिन्हें कैश या वस्तु के रूप में या मूल्य के बदले वसूला जा सकता है, और बैंक बैलेंस (अगर कोई हों) जो सरकार, स्थानीय और अन्य अधिकारियों और निकायों, ग्राहकों, सप्लायरों या अन्य लोगों के पास हैं, वे मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित हो जाएंगे या ऐसा माना जाएगा कि वे ट्रांसफर और निहित हो गए हैं; इसके लिए किसी और काम, दस्तावेज़ या डीड की ज़रूरत नहीं होगी और यह प्रस्ताव लागू होने पर ऐसा माना जाएगा।

1.2 एक्ट की धारा 378ZN के तहत पास किए गए प्रस्ताव को लागू करने के मकसद से, ऐसी संपत्तियों, प्रॉपर्टी और अधिकारों (अगर कोई हों) के मामले में जिनके लिए किसी कानून या अन्य तरीके से अलग-अलग डॉक्यूमेंट, डीड या ट्रांसफर एग्रीमेंट (जैसे अटॉर्नमेंट या एंडोर्समेंट के डॉक्यूमेंट) की ज़रूरत होती है, मर्ज हुई कंपनी ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार करेगी ताकि म्यूटेशन आसानी से पूरा हो सके और यह इस प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा होगा।

- 1.3 असरदार तारीख से, मर्ज होने वाली कंपनी की अचल संपत्तियों (अगर कोई हों) का मालिकाना हक मर्ज हुई कंपनी का माना जाएगा और म्यूटेशन हो चुका माना जाएगा; और इस प्रस्ताव को सही रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना ही ऐसी अचल संपत्तियों पर मर्ज हुई कंपनी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड के तौर पर काफी होगा।
- 1.4 'इफेक्टिव डेट' (प्रभावी तिथि) पर 'मर्जिंग कंपनी' (विलय होने वाली कंपनी) की सभी संपत्तियां - चाहे वे 'मर्जिंग कंपनी' की बुक्स (रिकॉर्ड) में शामिल हों या नहीं - बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज़ या डीड के, 'मर्ज कंपनी' (विलय के बाद बनी कंपनी) को ट्रांसफर और उनमें निहित (vested) मानी जाएंगी। यह तब होगा जब एक्ट की धारा 378ZN के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव (resolution) लागू हो जाएगा। हालांकि, शर्त यह है कि प्रस्ताव दाखिल करने की तारीख के बाद, 'मर्ज कंपनी' के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना 'मर्जिंग कंपनी' द्वारा कोई भी 'ओनरस एसेट' (भारी देनदारी वाली या बोझिल संपत्ति) हासिल नहीं की गई हो।
- 1.5 सभी ग्रांट्स (चाहे वे एक बार मिलने वाले हों या बार-बार मिलने वाले; केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, या किसी अन्य विभाग, संस्था, उपक्रम, एजेंसी, फाउंडेशन, संगठन आदि द्वारा दिए गए हों; साथ ही सभी किश्तें, ट्रेच, ड्रॉडाउन, भुगतान, मौद्रिक या गैर-मौद्रिक; चाहे मंजूर किए गए हों, आवेदन किया गया हो, दावा किया गया हो, प्राप्त हुए हों आदि) जिनके लिए 'मर्जिंग कंपनी' 'इफेक्टिव डेट' पर या भविष्य में किसी निर्धारित मानदंड या पैरामीटर को पूरा करने पर पात्र थी या है, वे 'मर्ज कंपनी' को ट्रांसफर हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे। ये ग्रांट्स 'मर्ज कंपनी' के साथ उसी तरह और उसी प्रभाव से जारी रहेंगे, और उन पर वही नियम और शर्तें लागू होंगी जो 'मर्जिंग कंपनी' पर लागू होतीं यदि यह विलय नहीं हुआ होता; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज़ या डीड की आवश्यकता नहीं होगी।

2. देनदारियों का ट्रांसफर

- 2.1 इफेक्टिव डेट से, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी देनदारियां - जिनमें सभी सिक्वोर्ड और अनसिक्वोर्ड कर्ज, विविध लेनदार, देनदारियां (कंटीजेंट देनदारियां और डेफर्ड टैक्स देनदारी सहित), शुल्क, गारंटी, क्षतिपूर्ति और दायित्व (किसी भी रूप में कंटीजेंट देनदारी पैदा करने वाली कोई भी गारंटी, लेटर ऑफ़ क्रेडिट या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट या व्यवस्था सहित) शामिल हैं, चाहे वे मर्ज होने वाली कंपनी की अकाउंट्स की किताबों में दर्ज हों या नहीं, और चाहे वे किसी भी प्रकार, प्रकृति या विवरण की हों और कैसे भी उत्पन्न हुई हों, उठाई गई हों या उसके बिजनेस गतिविधियों और ऑपरेशन्स के लिए इस्तेमाल की गई हों - वे सभी, सेक्शन 378ZN और एक्ट के अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के तहत इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, बिना किसी अतिरिक्त कार्य, इंस्ट्रूमेंट, डीड, मामले या चीज़ के, मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित हो जाएंगी (या मानी जाएंगी कि ट्रांसफर और निहित हो गई हैं), साथ ही उन पर कोई भी चार्ज, एनकंब्रेंस, मॉर्गेज, लीन, हाइपोथेकेशन या सिक्वोरिटी भी ट्रांसफर होगी। मर्ज की गई कंपनी इफेक्टिव डेट पर बकाया देनदारियों को उसी तरह स्वीकार करेगी जैसे वे मर्ज होने वाली कंपनी पर लागू थीं, और मर्ज की गई कंपनी उनकी शर्तों के अनुसार उन्हें पूरा करेगी और

चुकाएगी, बिना इस बात के कि मर्जर प्रभावी होने के बाद उसे उनके लिए कोई और या अतिरिक्त सिक्क्योरिटी बनानी पड़े। इसके अलावा, इस पैरा 2.1 के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति की सहमति लेना ज़रूरी नहीं होगा जो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या व्यवस्था का हिस्सा है जिसके कारण ऐसी देनदारियां उत्पन्न हुई हैं।

2.2 हालांकि, 'इफेक्टिव डेट' (प्रभावी तिथि) के बाद, अगर किसी कानून या अन्य वजह से ज़रूरत हो, तो 'मर्ज्ड कंपनी' (विलय के बाद बनी कंपनी) लेनदारों या उधार देने वालों (जैसा भी मामला हो) के पक्ष में, या उस कॉन्ट्रैक्ट या व्यवस्था से जुड़े किसी अन्य पक्ष के पक्ष में—जिसमें 'मर्जिंग कंपनी' (विलय होने वाली कंपनी) शामिल है—पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ (deeds of confirmation) या कोई भी ज़रूरी लिखित दस्तावेज़ तैयार और निष्पादित कर सकती है, ताकि यहाँ बताई गई शर्तों को औपचारिक रूप से लागू किया जा सके। प्रस्ताव की शर्तों के तहत, 'मर्ज्ड कंपनी' को 'मर्जिंग कंपनी' की ओर से ऐसे दस्तावेज़ तैयार करने और ऊपर बताई गई सभी औपचारिकताओं और नियमों का पालन करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

2.3 मर्जर करने वाली कंपनी और मर्ज होने वाली कंपनी के बीच कोई भी लोन, एडवांस और अन्य देनदारियां (जिनमें कोई भी गारंटी, लेटर ऑफ़ क्रेडिट, लेटर ऑफ़ कम्फर्ट या कोई अन्य ऐसा इंस्ट्रूमेंट या व्यवस्था शामिल है जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक देनदारी (contingent liability) पैदा हो सकती है) अगर हों, तो वे अपने-आप खत्म हो जाएंगी और इस संबंध में किसी भी पक्ष पर कोई देनदारी नहीं रहेगी; साथ ही, मर्ज होने वाली कंपनी की अकाउंट्स की किताबों और रिकॉर्ड्स में इसका उचित असर दिखाया जाएगा।

3 कानूनी कार्यवाही

3.1. अगर 'मर्ज होने वाली कंपनी' (Merging Company) से जुड़े या उससे संबंधित किसी भी तरह के कानूनी रूप से मान्य, कार्रवाई-योग्य और लागू करने योग्य मुकदमे, कार्रवाई और कार्यवाही (जिन्हें यहाँ "कार्यवाही" कहा गया है) 'प्रभावी तारीख' (Effective Date) पर लंबित हैं, तो वे इस प्रस्ताव या प्रस्ताव में शामिल किसी भी बात के कारण खत्म या बंद नहीं होंगे और न ही उन पर कोई बुरा असर पड़ेगा; बल्कि, ये कार्यवाहियाँ 'मर्ज हुई कंपनी' (Merged Company) द्वारा या उसके खिलाफ उसी तरह, उसी हद तक और उतनी ही प्रभावशीलता के साथ जारी रखी और लागू की जाएंगी, जैसे कि इस प्रस्ताव के बिना 'मर्ज होने वाली कंपनी' द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखी और लागू की जातीं।

4 कर्मचारी और अन्य कर्मी

4.1 मर्जर वाली कंपनी (Merging Company) के सभी कर्मचारी (जिनमें सेक्रेटरी और मैनेजर भी शामिल हैं), जो 'प्रभावी तारीख' (Effective Date) पर नौकरी में हैं, वे 'प्रभावी तारीख' से ही मर्ज हो चुकी कंपनी (Merged Company) के कर्मचारी बन जाएंगे। उनकी सेवा की शर्तें और नियम 'प्रभावी तारीख' पर लागू शर्तों और नियमों से कमतर नहीं होंगे।

4.2. 'प्रभावी तारीख' से, कर्मचारियों की सेवा को बिना किसी ब्रेक, रुकावट या व्यवधान के लगातार माना जाएगा। यह विभिन्न फंडों (जिनकी परिभाषा नीचे दी गई है) की सदस्यता और उनके नियमों या उप-नियमों को लागू

करने के मकसद से किया जाएगा।

4.3 साफ़ तौर पर यह तय किया गया है कि 'इफेक्टिव डेट' (लागू होने की तारीख) पर, 'मर्जिंग कंपनी' (मिलने वाली कंपनी) के कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए बनाए गए या मौजूद प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, लीव बैलेंस या कोई अन्य स्पेशल फंड या ट्रस्ट (जिन्हें यहाँ "फंड" कहा गया है), उन कर्मचारियों के सभी योगदानों (ब्याज/निवेश सहित, जो ट्रांसफ़र किए गए कर्मचारियों से जुड़े और उनके हिस्से के हैं) के साथ, 'मर्ज्ड कंपनी' (जिसमें विलय हुआ है) के संबंधित फंड में ट्रांसफ़र और मर्ज कर दिए जाएँगे। ये शर्तें और नियम, विलय से ठीक पहले 'मर्जिंग कंपनी' के उन कर्मचारियों पर लागू शर्तें और नियमों से कम फ़ायदेमंद नहीं होंगे। यह सब लागू कानून (यानी कोई भी कानून, जिसमें गाइडलाइंस, फ़ैसले, नोटिफ़िकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, नियम, रेगुलेशन आदि शामिल हैं, जो किसी व्यक्ति पर लागू या बाध्यकारी हों, चाहे वह भारत में हो या बाहर) के तहत सभी रेगुलेटरी/कानूनी ज़रूरतों/मंजूरीयों का पालन करते हुए किया जाएगा, और इसके लिए किसी अतिरिक्त काम, दस्तावेज़ या डीड की ज़रूरत नहीं होगी।

4.4. मर्ज होने वाली कंपनी (Merged Company) की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह संबंधित ट्रस्ट डीड (अगर कोई हो) में दी गई शर्तें और नियमों के अनुसार उन फंड्स में योगदान करे। इसका मकसद यह है कि ऐसे फंड या फंड्स के संबंध में मर्ज करने वाली कंपनी (Merging Company) के सभी अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और दायित्व मर्ज होने वाली कंपनी के हो जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि फंड्स के मकसद से कर्मचारियों की सेवाओं को लगातार माना जाएगा और इसलिए, मर्ज होने वाली कंपनी के साथ ऐसे कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। मर्ज करने वाली कंपनी और मर्ज होने वाली कंपनी के संबंधित बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने की तारीख से, मर्ज करने वाली कंपनी अपने कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें और नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगी, सिवाय सामान्य कामकाज के दौरान। ऊपर दी गई बातों के बावजूद, मर्ज होने वाली कंपनी का बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, अगर उसे सही लगे और लागू कानूनों के अधीन, मर्ज करने वाली कंपनी के पुराने फंड(ड्स) के लिए मर्ज होने वाली कंपनी के भीतर अलग-अलग ट्रस्ट बनाए रखने का हकदार होगा।

5 परमिट

5.1. सभी सरकारी मंजूरीयां और अन्य सहमतियां, अनुमतियां, कोटा, अधिकार, ऑथराइज़ेशन, हक, आवंटन, रियायतें, छूट, रजिस्ट्रेशन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र और लाइसेंस - जिनमें पर्यावरण मंजूरी, किरायेदारी, विशेषाधिकार, शक्तियां और हर तरह की सुविधाएं शामिल हैं, जिनसे मर्ज होने वाली कंपनी जुड़ी है या जिनका फ़ायदा उठाने की वह हकदार है और जिनकी ज़रूरत मर्ज होने वाली कंपनी के कामकाज को चलाने के लिए हो सकती है, और जो 'इफेक्टिव डेट' (अमल में आने की तारीख) से ठीक पहले लागू या चालू हैं - वे सभी मर्ज होने वाली कंपनी के पक्ष में पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे और उन्हें उसी तरह पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा जैसे कि मर्ज होने वाली कंपनी ही उनकी पार्टी, लाभार्थी या उनसे जुड़ी पक्षकार रही हो; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज़ या विलेख (deed) की ज़रूरत नहीं होगी।

5.2. प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी (Merged Company) अपने-आप मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) का बिज़नेस करने का अधिकार हासिल कर लेगी। इसमें लागू कानून के तहत ज़रूरी सभी मंजूरी, सहमति, परमिशन, कोटा, अधिकार, ऑथराइज़ेशन, हक, अलॉटमेंट, रियायत, छूट, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, विशेषाधिकार, शक्तियां और हर तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। इसके लिए मर्ज हुई कंपनी के नाम पर किसी और एप्लीकेशन या दोबारा मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी।

6 टैक्सेशन

6.1. यह प्रस्ताव इनकम टैक्स एक्ट, 2025 ("IT एक्ट") की धारा 2(6) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत "अमलगमेशन" (विलय) से जुड़ी शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगा, जिसके तहत:

- a) अमलगमेशन से ठीक पहले, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी संपत्तियां, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी की संपत्तियां बन जाएंगी;
- b) अमलगमेशन से ठीक पहले, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी देनदारियां, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी की देनदारियां बन जाएंगी; और,
- c) मर्ज होने वाली कंपनी में कम से कम तीन-चौथाई मूल्य के शेयर रखने वाले सदस्य, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी के सदस्य बन जाएंगे।

6.2. अगर बाद में कभी भी (चाहे कानून में बदलाव की वजह से हो या किसी और वजह से) इस प्रस्ताव की कोई भी शर्त या प्रावधान IT एक्ट की धारा 2(6) और 70 के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाते हैं या उनका अर्थ ऐसा निकाला जाता है, तो उस धारा के प्रावधान ही मान्य होंगे। पार्टियां इस प्रस्ताव में ऐसे बदलाव करने के लिए ईमानदारी से बातचीत करेंगी जो दोनों पक्षों को मंज़ूर हों और जिनसे यह पक्का हो सके कि प्रस्ताव उन प्रावधानों का पालन करता है। साथ ही, उन प्रावधानों का पालन करने के लिए ज़रूरी हद तक इस प्रस्ताव में बदलाव माना जाएगा। हालाँकि, ऐसे बदलाव का असर प्रस्ताव के बाकी हिस्सों पर नहीं पड़ेगा।

6.3. प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी को साफ़ तौर पर यह इजाज़त होगी कि वे अपने-अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिटर्न के साथ-साथ IT एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 और दूसरे टैक्स कानूनों के तहत तय फ़ॉर्म, फाइलिंग और एनेक्ज़र में बदलाव कर सकें। साथ ही, वे प्रस्ताव के प्रावधानों को लागू करने के लिए ज़रूरी होने पर, चुकाए गए टैक्स (जैसे TDS, TCS वगैरह) के लिए रिफंड और/या क्रेडिट का दावा कर सकें और उससे जुड़े मामलों पर कार्रवाई कर सकें।

6.4. ऊपर बताई गई बातों पर असर डाले बिना, इस प्रस्ताव के लागू होने पर, लागू कानूनों के तहत मर्ज करने वाली कंपनी (Merging Company) को मिलने वाले सभी फायदे, इंसेंटिव, नुकसान और क्रेडिट (जैसे इनकम टैक्स, TDS, TCS, GST वगैरह) मर्ज के बाद बनी कंपनी (Merged Company) को मिलेंगे और उसके अधिकार में आ जाएंगे। यह साफ़ तौर पर बताया जाता है कि प्रभावी तारीख (Effective Date) से, मर्ज करने वाली कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले सभी टैक्स, मर्ज के बाद बनी कंपनी की टैक्स देनदारी माने जाएंगे। प्रभावी तारीख को या उसके बाद मर्ज करने वाली कंपनियों द्वारा लागू कानूनों के तहत किए गए सभी अनुपालन

(compliances), मर्जर के बाद बनी कंपनी द्वारा किए गए माने जाएंगे।

- 6.5. इसके अलावा, मर्जर करने वाली कंपनी को मिलने वाली सभी कटौतियां और छूट (जैसे असल भुगतान पर, सही टैक्स काटने पर, या TDS जमा करने पर मिलने वाली छूट) IT एक्ट के तहत लागू शर्तों को पूरा करने पर मर्जर के बाद बनी कंपनी को भी मिलेंगी।

7 समझौते, अनुबंध और विलेख (Deeds)

- 7.1. प्रभावी तिथि से और इस प्रस्ताव में शामिल अन्य प्रावधानों के अधीन, विलय होने वाली कंपनी (Merging Company) से जुड़े सभी अनुबंध, विलेख, बॉन्ड, समझौते, व्यवस्थाएं, आश्वासन और किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेज - जिनमें विलय होने वाली कंपनी एक पक्ष है या जिनका लाभ उसे मिल सकता है, और जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले लागू या प्रभावी थे - वे विलय हो चुकी कंपनी (Merged Company) के लिए, उसके खिलाफ या उसके पक्ष में (जैसा भी मामला हो) पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे। ये विलय हो चुकी कंपनी पर उसी तरह पूरी तरह और प्रभावी ढंग से बाध्यकारी होंगे और लागू किए जाएंगे, मानो विलय होने वाली कंपनी के बजाय विलय हो चुकी कंपनी ही उनका पक्ष रही हो; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख की आवश्यकता नहीं होगी।
- 7.2. जैसा कि ऊपर पैरा 7.1 में बताया गया है, प्रभावी तारीख (Effective Date) पर किसी भी पार्टियों के साथ जो भी समझौते और कॉन्ट्रैक्ट लागू हैं, वे मर्जर के बाद बनी कंपनी (Merged Company) और उन पार्टियों के बीच लागू रहेंगे। इसलिए, ऐसा कोई भी समझौता नहीं है जिसे बदला, रद्द या खत्म किया जाएगा, जिसके लिए एक्ट की धारा 378ZN(8)(e) के तहत पहले से कोई नोटिस या सहमति लेने की ज़रूरत हो।
- 7.3. इस प्रस्ताव की दूसरी शर्तों पर असर डाले बिना और इस बात के बावजूद कि उपक्रम (Undertaking) का हस्तांतरण इसी प्रस्ताव के तहत हो रहा है, मर्ज हुई कंपनी (Merged Company) - अगर किसी कानून या अन्य वजह से ज़रूरी हो - तो ऐसे दस्तावेज़, लिखित समझौते या कन्फर्मेशन (पुष्टि) तैयार कर सकती है या उन पर हस्ताक्षर कर सकती है, या किसी तीन-पक्षीय समझौते या व्यवस्था में शामिल हो सकती है। इन समझौतों में, अगर ज़रूरी हो, तो मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) भी एक पक्ष होगी, ताकि इस प्रस्ताव की शर्तों को औपचारिक रूप से लागू किया जा सके। इसके अलावा, मर्ज हुई कंपनी को मर्ज होने वाली कंपनी की ओर से ऐसे दस्तावेज़ या कन्फर्मेशन तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। साथ ही, प्रस्ताव की शर्तों को लागू करने के लिए मर्ज होने वाली कंपनी की तरफ से ज़रूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का अधिकार भी मर्ज हुई कंपनी के पास होगा।
- 7.4. मर्ज होने वाली कंपनी के सभी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ (चाहे वे नियमों के पालन से जुड़े हों या एक्ट और उसके तहत बने नियमों और रेगुलेशन के तहत हों) मर्ज की गई कंपनी को मिल जाएँगी। यह माना जाएगा कि मर्ज की गई कंपनी ने सभी ज़रूरी कॉर्पोरेट मंजूरियाँ ले ली हैं और सभी नियमों का पालन कर लिया है।
- 7.5. मर्ज होने वाली कंपनी के लिए जारी की गई सभी इंश्योरेंस पॉलिसी का फ़ायदा मर्ज हुई कंपनी को मिलेगा और इन पॉलिसी में "बीमित" (Insured) के तौर पर मर्ज हुई कंपनी का नाम शामिल किया जाएगा, मानो मर्ज हुई

कंपनी शुरू से ही उस पॉलिसी का हिस्सा रही हो।

- 7.6 मर्जर के असरदार होने के बाद, मर्ज हुई कंपनी का बोर्ड मुख्य गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करता रहेगा और उसके पास सभी अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। वहीं, मर्ज होने वाली कंपनी का बोर्ड बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई या काम के अपने-आप भंग हो जाएगा, क्योंकि विलय के बाद मर्ज होने वाली कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मर्ज होने वाली कंपनी के बोर्ड के पास पहले से मौजूद सभी अधिकार, दायित्व और शक्तियां मर्ज हुई कंपनी के बोर्ड को ट्रांसफर हो जाएंगी और वही उनका इस्तेमाल करेगा।
- 7.7 इस प्रस्ताव को पास करने की तारीख से तीन महीने पहले, मर्ज होने वाली कंपनी या मर्ज हो चुकी कंपनी द्वारा या उनके खिलाफ किसी संपत्ति के संबंध में किए गए किसी ट्रांसफर, सामान की डिलीवरी, पेमेंट, निष्पादन या किसी अन्य काम को रद्द करने का कोई मामला सामने नहीं आया है; अगर ऐसा कोई काम किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया होता, तो उसके दिवालिया होने की स्थिति में उसे धोखाधड़ी से दी गई प्राथमिकता (fraudulent preference) माना जाता।

8 प्रतिफल (CONSIDERATION)

- 8.1. प्रस्ताव के लागू होने पर और मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) के मर्ज हो चुकी कंपनी (Merged Company) में विलय के प्रतिफल के तौर पर, मर्ज हो चुकी कंपनी बिना किसी अतिरिक्त आवेदन, कार्रवाई, दस्तावेज़, सहमति या इंस्ट्रूमेंट के, मर्ज होने वाली कंपनी के उन सदस्यों को इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करेगी जिनके पास मर्ज होने वाली कंपनी के पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर हैं और जिनके नाम रिकॉर्ड डेट (यानी प्रभावी तिथि) पर मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, या शेयर एक्सचेंज अनुपात के अनुसार मर्ज होने वाली कंपनी / मर्ज हो चुकी कंपनी के बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त उनके संबंधित वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों या हक के अन्य उत्तराधिकारियों को शेयर जारी और आवंटित करेगी। ये शेयर पूरी तरह से पेड-अप माने जाएंगे और नीचे बताई गई मात्रा में होंगे।
- 8.2. ऊपर बताए गए शेयर एक्सचेंज अनुपात को दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने रिकॉर्ड पर लिया है और मंजूरी दी है। यह मंजूरी शेयर एक्सचेंज अनुपात तय करने के लिए प्राप्त वैल्यूएशन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दी गई है।
- 8.3. मर्ज हुई कंपनी के इक्विटी शेयरों का जारी किया जाना, मर्ज हुई कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन (समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों सहित) के प्रावधानों के अधीन होगा। ये शेयर सभी मामलों में मर्ज हुई कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर (pari passu) होंगे, जिसमें डिविडेंड, बोनस, वोटिंग अधिकार और मर्ज हुई कंपनी के इक्विटी शेयरों से जुड़े अन्य कॉर्पोरेट लाभ शामिल हैं।
- 8.4. मर्ज हुई कंपनी के सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का मतलब यह माना जाएगा कि मर्ज हुई कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर जारी करने और अलॉट करने, तथा इस प्रस्ताव में बताए अनुसार मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन में बदलाव करने के लिए एक्ट की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य संबंधित और लागू प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों का उचित पालन किया गया है। इसके बाद, मर्ज हुई कंपनी को धारा 42, 47, 62,

378F और 378H तथा एक्ट के अन्य लागू प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों के तहत कोई और प्रस्ताव पारित करने या कोई और कार्रवाई (किसी भी प्रक्रियात्मक ज़रूरत को पूरा करने सहित) करने की ज़रूरत नहीं होगी।

8.5. ऊपर पैरा 8.1 में बताए गए प्रतिफल के अलावा, मर्ज हुई कंपनी कोई अन्य शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ या किसी अन्य प्रकार का प्रतिफल जारी, आवंटित या निर्धारित नहीं करेगी।

9 असहमति रखने वाले सदस्यों या लेनदारों के लिए तरीका

9.1. एक्ट की धारा 378ZN(5) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सदस्य या लेनदार जो प्रस्तावित प्रस्ताव से सहमत नहीं है, शेयरधारकों को नोटिस मिलने की तारीख से एक महीने के भीतर निम्नलिखित विकल्प चुन सकता है –

(a) सदस्य के मामले में – बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मंजूरी से अपने शेयर किसी सक्रिय सदस्य को ट्रांसफर करना और इस तरह कंपनी के सदस्य के तौर पर बने न रहना; और

(b) लेनदार के मामले में – अपनी जमा राशि या लोन या एडवांस (जैसा भी मामला हो) को वापस लेना।

9.2. अगर ऊपर बताए गए 9.1(a) के तहत, कोई सक्रिय सदस्य नहीं है जो असहमति रखने वाले सदस्य से शेयर खरीदना चाहता हो, तो कंपनी खुद उन शेयरों को खरीदने का इंतज़ाम करेगी और रद्द या सरेंडर किए गए हर शेयर के लिए 100 रुपये की फेस वैल्यू का भुगतान करेगी। अगर कंपनी कोई शेयर खरीदती है, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल उतनी ही कम हो जाएगी।

9.3. असहमति रखने वाले सदस्य के शेयर खरीदने के लिए किसी सक्रिय सदस्य को खोजने की प्रक्रिया, और यदि कोई सक्रिय सदस्य शेयर नहीं खरीदना चाहता है तो कंपनी द्वारा स्वयं शेयर खरीदने की प्रक्रिया, इस प्रस्ताव की प्रभावी तिथि से पहले पूरी कर ली जाएगी ताकि ये लेनदेन उस तिथि से पहले हो सकें।

9.4. अधिनियम की धारा 378ZN(6) के अनुसार, यदि कोई सदस्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने शेयर ट्रांसफर करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो उस सदस्य को प्रस्तावित विलय के लिए सहमत माना जाएगा।

9.5. कंपनी, उसके निदेशक मंडल और अन्य अधिकारियों को ऊपर बताई गई प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक कदम और कार्रवाई करनी होगी।

10 भविष्य में मर्ज हुई कंपनी के कामकाज का संचालन

मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी, दोनों ही मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने के एक ही बिज़नेस में शामिल हैं। दोनों कंपनियों के बिज़नेस ऑपरेशन भी मोटे तौर पर एक जैसे हैं, जो इस प्रकार हैं:

- कंपनी तय किए गए मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (MPPs) पर सदस्यों से दूध इकट्ठा करने के लिए एक सहायक (सहायक) नियुक्त करती है।
- एक इनवर्ड ट्रांसपोर्टर कच्चे दूध को MPPs से मिल्क कलेक्शन सेंटर्स (MCCs) या बल्क मिल्क कूलर्स (BMCs) तक ठंडा करने और स्टोर करने के लिए ले जाता है।
- इसके बाद ठंडे किए गए दूध को आउटवर्ड ट्रांसपोर्टर मिल्क टैंकरों का इस्तेमाल करके NDS तक पहुँचाया

जाता है।

मर्जर के बाद, कंपनी की बिज़नेस गतिविधियाँ मौजूदा ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और स्थापित तौर-तरीकों के अनुसार ही चलती रहेंगी। कंपनी की मुख्य बिज़नेस गतिविधियों के स्वरूप या दायरे में कोई बदलाव नहीं होगा। खरीद, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और वितरण से जुड़े सभी काम बिना किसी बदलाव के, बिज़नेस के सामान्य कामकाज के तहत ही किए जाएँगे। साथ ही, कंपनी की मौजूदा खरीद या बिक्री नीतियों में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस मर्जर का कंपनी के चल रहे कामकाज, कमर्शियल रिश्तों या सर्विस देने के तरीकों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

11. मर्जर के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट

रिज़ॉल्यूशन के लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी अपने अकाउंट्स की किताबों में मर्जर का हिसाब-किताब उस अकाउंटिंग तरीके से करेगी जो एक्ट की धारा 133 के तहत नोटिफ़ाई किए गए लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक्ट के अन्य संबंधित प्रावधानों (साथ ही उनके तहत बने नियम और भारत में आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग सिद्धांत) में बताया गया है।

11.1. मर्जर करने वाली कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट:

चूंकि मर्जर का प्रस्ताव लागू होने पर मर्जर करने वाली कंपनी बिना वाइंड-अप हुए ही खत्म हो जाएगी, इसलिए इस प्रस्ताव के तहत मर्जर करने वाली कंपनी की बुक्स में किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का निर्देश नहीं दिया गया है।

11.2. विलयित कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:

प्रस्ताव में किसी अन्य बात के होते हुए भी, विलयित कंपनी, विलय करने वाली कंपनी के विलय का लेखांकन, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों ("एएस") में निर्धारित हित एकीकरण पद्धति के अनुसार, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत, समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार, अपनी पुस्तकों में इस प्रकार करेगी कि:

- (a) दो स्वतंत्र कंपनियों के विलय के पूरा होने के बाद, विलय होने वाली कंपनी (Merging Company) की जो भी संपत्ति और देनदारियां इस प्रस्ताव के तहत विलय के बाद बनी कंपनी (Merged Company) को मिलेंगी, उन्हें विलय होने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाई गई 'कैरिंग वैल्यू' (लेखा-पुस्तक मूल्य) पर ही दर्ज किया जाएगा।
- (b) विलय होने वाली कंपनी के रिज़र्व (संचय) की पहचान बनाए रखी जाएगी और विलय के बाद बनी कंपनी, विलय होने वाली कंपनी के रिज़र्व को उसी रूप और उसी 'कैरिंग अमाउंट' (लेखा-पुस्तक राशि) पर दर्ज करेगी जैसा कि विलय होने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है।
- (c) विलय होने वाली कंपनी और विलय के बाद बनी कंपनी के विलय के परिणामस्वरूप, विलय के बाद बनी कंपनी की बही-खातों (बुक्स) में दिखाई देने वाले सभी अंतर-कंपनी लेनदेन और अंतर-कंपनी बैलेंस (यदि कोई हों) रद्द माने जाएंगे और इस संबंध में आगे कोई दायित्व नहीं होगा।

- (d) पैरा 7.6 के तहत मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों को जारी किए गए मर्ज हो चुकी कंपनी के इक्विटी शेयरों की फेस वैल्यू को मर्ज हो चुकी कंपनी की बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे इक्विटी शेयरों को जारी करने पर मिलने वाले शेयर प्रीमियम को मर्ज हो चुकी कंपनी की बुक्स में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा (अगर कोई हो)।
- (e) पैरा 11.2(a) से 11.2(d) का असर लागू करने के बाद अगर कोई कमी (डेफिसिट) आती है, तो उसे मर्ज हो चुकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 'कैपिटल रिज़र्व' अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। पैरा 11.2(a) से 11.2(d) का असर लागू करने के बाद अगर कोई सरप्लस (अतिरिक्त राशि) बचती है, तो उसे उपलब्ध बैलेंस की सीमा तक 'सिक्योरिटीज़ प्रीमियम' अकाउंट के खिलाफ एडजस्ट किया जाएगा, और अगर कोई बाकी बैलेंस बचता है, तो उसे मर्ज हो चुकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफ़िट और लॉस के जमा बैलेंस के खिलाफ एडजस्ट किया जाएगा।
- (f) मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हो चुकी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी तरह के अंतर के मामले में, मर्ज हो चुकी कंपनी द्वारा अपनाई गई अकाउंटिंग पॉलिसी ही लागू होगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी के आधार पर फाइनेंशियल स्थिति को दिखाएं।

12 विलय होने वाली कंपनी का समापन

प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज होने वाली कंपनी बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज़ या विलेख के, बिना वाइंड-अप हुए ही भंग हो जाएगी।

13 अधिकृत शेयर पूंजी का हस्तांतरण और समेकन

- 13.1 रिज़ॉल्यूशन के एक ज़रूरी हिस्से के तौर पर और 'इफेक्टिव डेट' (प्रभावी तिथि) पर रिज़ॉल्यूशन के लागू होने के बाद, 'मर्जिंग कंपनी' की ₹15,00,00,000 (पंद्रह करोड़ भारतीय रुपये) की अधिकृत शेयर पूंजी—जिसमें ₹100 (एक सौ भारतीय रुपये) फेस वैल्यू वाले 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं—को 'मर्ज कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ मिला दिया जाएगा और उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ऊपर बताए अनुसार 'मर्जिंग कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी को 'मर्ज कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ मिलाने के बाद, 'मर्ज कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़कर ₹25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ भारतीय रुपये) हो जाएगी, जिसमें ₹100 (एक सौ भारतीय रुपये) फेस वैल्यू वाले 25,00,000 (पच्चीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल होंगे। इसके लिए 'मर्ज कंपनी' को किसी और काम, दस्तावेज़ या डीड की ज़रूरत नहीं होगी; 'मर्जिंग कंपनी' द्वारा अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर चुकाई गई फीस को 'मर्ज कंपनी' द्वारा मर्ज के बाद अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर देय किसी भी फीस के खिलाफ एडजस्ट (सेट-ऑफ) किया जाएगा; और ऐसी बढ़ोतरी के संबंध में किसी भी अतिरिक्त फीस या स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए 'मर्ज कंपनी' की देनदारी (i) रिज़ॉल्यूशन के लागू होने के बाद 'मर्ज कंपनी' द्वारा अपनी बढ़ी हुई अधिकृत शेयर पूंजी पर देय फीस या स्टाम्प ड्यूटी, और (ii) 'मर्जिंग कंपनी' द्वारा समय-समय पर अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर चुकाई गई फीस या स्टाम्प ड्यूटी (यदि कोई हो), के बीच के अंतर तक सीमित होगी; और MOA के क्लॉज़ VI में अधिकृत शेयर पूंजी वाला क्लॉज़

संशोधित हो जाएगा और इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,000 रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) है, जिसमें 25,00,000 (पच्चीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रुपये (एक सौ रुपये) है।”

13.2. एक्ट की धारा 378ZN और उससे जुड़े नियमों और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत, हर पार्टी के बोर्ड और सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर, यह माना जाएगा कि मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी के बोर्ड और सदस्यों ने भी एक्ट की धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या किसी अन्य लागू प्रावधानों और नियमों के तहत अपनी सहमति दे दी है। यह सहमति मर्ज हुई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में रीक्लासिफिकेशन, संशोधन और बढ़ोतरी को लागू करने के लिए ज़रूरी होगी। इसके बाद, मर्ज होने वाली कंपनी या मर्ज हुई कंपनी को एक्ट की धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या किसी अन्य लागू प्रावधानों, नियमों और आर्टिकल्स के तहत कोई और प्रस्ताव पास करने या कोई और कार्रवाई (जैसे किसी प्रक्रियात्मक ज़रूरत को पूरा करना) करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह प्रस्ताव लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी, अगर ज़रूरत हो, तो एक्ट और उससे जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ या किसी अन्य लागू सरकारी अथॉरिटी के पास, मर्ज हुई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में रीक्लासिफिकेशन, संशोधन और बढ़ोतरी से जुड़े सभी ज़रूरी दस्तावेज़/सूचनाएं इस प्रस्ताव में बताए गए तरीके से जमा करेगी।

14 प्रस्ताव की अन्य शर्तें

14.1. इस प्रस्ताव को, या इसमें किए गए किसी भी बदलाव, संशोधन या अतिरिक्त चीज़ों को लागू करने के मकसद से, विलय करने वाली कंपनी और विलय होने वाली कंपनी के अधिकृत व्यक्ति ऐसे सभी निर्देश दे सकते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो ज़रूरी हों। इसमें किसी भी सवाल, संदेह या मुश्किल को सुलझाने या दूर करने के निर्देश भी शामिल हैं। ऐसे निर्णय या निर्देश, जैसा भी मामला हो, सभी पक्षों पर उसी तरह बाध्यकारी होंगे जैसे कि वे विशेष रूप से इस प्रस्ताव में शामिल किए गए हों।

14.2 विलीन होने वाली कंपनी के सभी पुस्तकें, अभिलेख, फाइलें, कागजात, डेटाबेस, कैटलॉग, यदि कोई हों, वर्तमान एवं पूर्व ग्राहकों की सूचियां तथा अन्य सभी पुस्तकें एवं अभिलेख, चाहे भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों, लागू विधियों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक, विलीन होने वाली कंपनी द्वारा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को सौंपे जाएंगे।

14.3 उपरोक्त विलीन होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अंतरण, विधिक कार्यवाहियों की निरंतरता तथा करार, संविदाओं एवं विलेखों की प्रभावशीलता, प्रभावी तिथि को अथवा उससे पूर्व विलीन होने वाली कंपनी द्वारा पहले ही संपन्न किसी भी लेनदेन अथवा कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी, इस आशय एवं उद्देश्य से कि विलय प्राप्त करने वाली कंपनी विलीन होने वाली कंपनी द्वारा उस संबंध में किए गए एवं निष्पादित सभी कार्यों, विलेखों एवं बातों को इस प्रकार स्वीकार एवं अंगीकार करती है मानो वे इसकी ओर से किए एवं निष्पादित किए गए हों।

14.4 विलीन होने वाली कंपनी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी, यथालागू अधिनियम की धारा 378ZN एवं अन्य

लागू प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ("आरओसी") को प्रभावी विलय बताते हुए संयुक्त अथवा पृथक सूचना देंगी, ताकि रजिस्टर से विलीन होने वाली कंपनी का नाम हटाया जा सके, विलीन होने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का विलय प्राप्त करने वाली कंपनी में संयोजन हो सके तथा यदि आवश्यक हो तो अन्य कोई मामले सुलझाए जा सकें।

- 14.5 विलीन होने वाली कंपनी के प्रस्ताव, यदि कोई हों, जो प्रभावी तिथि को वैध एवं विद्यमान हैं, वैध एवं विद्यमान बने रहेंगे तथा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी के प्रस्तावों के रूप में माने जाएंगे तथा यदि ऐसे किसी प्रस्ताव पर अधिनियम अथवा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऊपरी मौद्रिक अथवा अन्य सीमा लागू की गई हो, तो उक्त सीमाएं जोड़ी जाएंगी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी में उक्त सीमाओं का समग्र गठन करेंगी।
- 14.6 अधिनियम की लागू धारा के अनुसार विलय प्राप्त करने वाली कंपनी की उधार सीमा, बिना किसी अतिरिक्त कार्य अथवा विलेख के, विलीन होने वाली कंपनी के उन कुल दायित्वों, यदि कोई हों, की राशि से स्वतः बढ़ जाएगी, जो इस प्रस्ताव के अनुसरण में विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को अंतरित किए जा रहे हैं तथा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 14.7 विलीन होने वाली कंपनी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी ने सामान्य व्यावसायिक क्रम में अपने सभी कर एवं बकाया विधिवत भुगतान किए हैं। जैसा कि उपरोक्त पैरा 6 में उल्लेख किया गया है, यह प्रस्ताव आईटी अधिनियम की धारा 2(6) एवं 70 के अनुपालन में है, तथा इस प्रस्ताव के अनुसार विलय के परिणामस्वरूप विलीन होने वाली कंपनी अथवा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी पर कोई कर दायित्व नहीं होगा। प्रस्ताव तक पहुंचने वाली बातचीत से संबंधित अथवा जुड़े किसी भी विलेख, दस्तावेज़, लिखत के संबंध में स्टॉप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क सहित सभी लागत, प्रभार, कर एवं व्यय तथा इस प्रस्ताव के नियमों एवं प्रावधानों को क्रियान्वित एवं लागू करने से जुड़े तथा इस प्रस्ताव के अनुसरण में व्यवस्था की पूर्णता से संबंधित व्यय, विलय प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा वहन एवं भुगतान किए जाएंगे।
- 14.8 विलय में शामिल प्रत्येक कंपनी के सदस्यों की, यथालागू अधिनियम के अनुसार, प्रस्ताव हेतु सहमति, इस प्रस्ताव में निर्धारित सभी कार्रवाइयों को प्रभावी करने के प्रयोजन हेतु पर्याप्त मानी जाएगी तथा कंपनियों की कोई अतिरिक्त कार्रवाई अलग से आवश्यक नहीं होगी।
- 14.9 यदि इस प्रस्ताव का कोई भाग किसी भी कारण से अमान्य, अप्रवर्तनीय अथवा अकार्यशील पाया जाता है अथवा सदस्यों, ऋणदाताओं, सांविधिक विनियामक प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृति के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से जिसे बोर्ड उचित समझे, तो यह, संबंधित पक्षों के बोर्डों के निर्णय के अधीन, प्रस्ताव के अन्य भागों और/अथवा प्रावधानों की वैधता अथवा क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव के ऐसे भाग(भागों) को अलग करने एवं ऐसे संशोधन के साथ शेष प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु सहमति देने की स्वतंत्रता होगी।"

“आगे पारित किया जाता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने तथा इन संकल्पों में निहित व्यवस्था को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने

हेतु आवश्यक, वांछनीय, उचित अथवा आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य, विलेख, मामले एवं बातें करें, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित एवं समुचित समझे, बिना कंपनी के शेयरधारकों अथवा सदस्यों की किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता के, इस आशय एवं उद्देश्य से कि शेयरधारक अथवा सदस्य उक्त एवं इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्राधिकार द्वारा अपनी स्वीकृति स्पष्ट रूप से प्रदान की हुई मानी जाएगी तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगे एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे अतिरिक्त विलेख, दस्तावेज़ एवं लेखन निष्पादित करें जो आवश्यक समझे जाएं, आवश्यक फाइलिंग करें तथा इन संकल्पों को प्रभावी करने एवं व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु कोई अथवा सभी गतिविधियां संपन्न करें।"

"आगे पारित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन संकल्पों को प्रभावी करने हेतु, यदि आवश्यक हो, अपनी यहां प्रदत्त सभी अथवा किंहीं शक्तियों को कंपनी के किसी निदेशक(निदेशकों) एवं/अथवा अधिकारी(अधिकारियों) को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसा वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित, आवश्यक अथवा वांछनीय समझे, बिना कंपनी के शेयरधारकों अथवा सदस्यों से किसी अतिरिक्त स्वीकृति के।"

9. कंपनी के 'आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन' में बदलाव पर विचार करने एवं उसे मंजूरी देने के लिए, एवं अगर उचित समझा जाए, तो निम्निलिखित प्रस्ताव को बदलाव के साथ या बिना बदलाव के 'विशेष प्रस्ताव' के तौर पर पारित करने हेतु।

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के पार्ट XXIA के संबंधित प्रावधानों, खासकर धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों (यदि कोई हों), एवं कंपनी के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन में नीचे बताए गए तरीके एवं हद तक बदलाव किया जाए।"

मौजूदा अनुच्छेद 4.3 iii. में बदलाव/संशोधन किया जाए एवं इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

4.3 iii. जो सदस्य सदस्य बने रहने के योग्य नहीं है, उसे कंपनी सदस्य के तौर पर हटाने के लिए लिखित नोटिस भेजेगी एवं उसे अपनी बात रखने का मौका देगी। सदस्य को नोटिस में बताई गई समय-सीमा के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद, बोर्ड इस मामले में फैसला लेगा। हालाँकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के मकसद से, बोर्ड किसी खास साल में सभी सदस्यों के लिए एक या ज़्यादा पात्रता शर्तों में छूट दे सकता है।

ऐसा नोटिस या दस्तावेज़ सदस्य को हाथ से, साधारण डाक, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से (कंपनी के पास रजिस्टर्ड सदस्य के ई-मेल पते पर) भेजा जा सकता है।

डाक, रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर से भेजे गए नोटिस को तब मिला हुआ माना जाएगा जब उसे सामान्य तौर पर पहुँचने में लगने वाला समय पूरा हो जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सदस्य के कंपनी के पास रजिस्टर्ड ई-मेल पते पर भेजे गए नोटिस को भेजे जाने की तारीख पर ही मिला हुआ माना जाएगा, बशर्ते कंपनी को डिलीवरी न होने, डिलीवरी में विफलता या बाउंस-बैक का कोई नोटिफिकेशन न मिले।

(2) कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 4.4 में नया आर्टिकल 4.4(i) जोड़ा जाएगा:

4.4(i) कोई सदस्य बोर्ड में सदस्यों के किसी खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले डायरेक्टर(रों) के चुनाव या नियुक्ति में वोट देने का हकदार तभी होगा, जब उस सदस्य ने चुनाव या नियुक्ति से ठीक पहले वाले वित्त वर्ष के दौरान उस मेंबरशिप क्लास पर लागू सभी शर्तों को पूरा किया हो।

(3) मौजूदा अनुच्छेद 4.5 में बदलाव/संशोधन किया जाए एवं इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

सदस्यों को दी जाने वाली कीमत

- i. बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, सदस्यों को सप्लाई किए गए दूध की कीमत का भुगतान किया जाएगा।
- ii. कंपनी अपने सदस्यों को दूध खरीदने के लिए अलग-अलग कीमत दे सकती है। यह कीमत उस इलाके में चल रही कीमत एवं समय-समय पर तय किए जाने वाले अन्य पैमानों पर आधारित हो सकती है।
- iii. शुरुआत में, सदस्य को देय एवं बकाया कीमत का कुछ हिस्सा मिल सकता है (जैसा कि समय-समय पर तय किया जाए)। बाकी बची हुई कीमत (Withheld Price) का भुगतान बाद में नकद, वस्तु के रूप में या इक्विटी शेयर देकर किया जा सकता है। यह भुगतान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को सप्लाई किए गए दूध के अनुपात में या किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है, एवं यह उन शर्तों एवं तरीकों के अधीन होगा जो बोर्ड तय करेगा।

अन्य भुगतान:

- iv. कंपनी सदस्यों को प्रोत्साहन (incentive) दे सकती है। यह प्रोत्साहन किन खूबियों के आधार पर, कितनी मात्रा में, किस तरीके से एवं किन शर्तों के साथ दिया जाएगा, यह सब बोर्ड तय करेगा।

(4) मौजूदा अनुच्छेद 9.6 i. में बदलाव/संशोधन किया जाए एवं इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

9.6 i. कंपनी की हर सालाना आम बैठक (AGM) में, कुल चुने गए डायरेक्टरों में से एक-चौथाई डायरेक्टर रोटेशन (बारी-बारी) से रिटायर होंगे। रोटेशन से रिटायर होने के बाद खाली हुई जगह को आर्टिकल 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। हर सालाना आम बैठक में रोटेशन से रिटायर होने वाले डायरेक्टर वे होंगे जो अपनी पिछली नियुक्ति (AGM में) के बाद से सबसे लंबे समय से पद पर हैं। जिन डायरेक्टरों की नियुक्ति एक ही सालाना आम बैठक में हुई थी, उनमें से रिटायर होने वाले डायरेक्टर(रों) का फैसला लॉटरी (ड्रॉ) के ज़रिए किया जाएगा।

(5) मौजूदा अनुच्छेद 9.16 में बदलाव/संशोधन किया जाए एवं इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

9.16 अगर कोई चुना हुआ डायरेक्टर कंपनी का सदस्य नहीं रहता है या इन नियमों के तहत वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए अयोग्य हो जाता है, तो उसका पद खत्म हो जाएगा। साथ ही, कोई सदस्य बोर्ड पर डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा या डायरेक्टर का पद खाली हो जाएगा, अगर:

निदेशक मंडल के आदेश से

SD/-

स्थान : कोटा

दिनेश चन्द्र चौधरी

दिनांक: 18 अगस्त 2026

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

नोटिस

1. वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने के हकदार सदस्य को हाथ उठाकर तथा मतदान (पोल) दोनों में स्वयं के स्थान पर मतदान हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य ही होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी नियुक्त करने का लिखत, प्रभावी होने हेतु, विधिवत पूर्ण, स्टॉप युक्त एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा बैठक के नियत समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।।
2. प्रत्येक सदस्य को उसकी शेयरधारिता अथवा कंपनी में संरक्षण (पैट्रोनेज) के बावजूद केवल एक मत (हाथ उठाकर तथा मतदान दोनों में) प्राप्त होगा।
3. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:
 - 19.09.2025 को आयोजित पिछली एजीएम का कार्यवृत्त
 - 31 मार्च, 2026 तक की ऑडिटेड बैलेंस शीट और 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।
 - वित्तीय वर्ष-2026-2027 का बजट भी संलग्न है।
4. जिस सदस्य को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो, उसे बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजने का अनुरोध किया जाता है।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने फोलियो नंबर एवं सदस्य कोड को उनके सभी पत्राचार में उद्धृत करें।
6. व्याख्यात्मक विवरण में मद संख्या के संबंध में सभी भौतिक तथ्य बताए गए हैं। संलग्न नोटिस का क्रमांक 8 एवं 9 इसके साथ संलग्न है।
7. संबंधित सूचना में संदर्भित दस्तावेज़, सामान्य व्यावसायिक समय (11:00 से 16:00 बजे) के दौरान, शनिवार एवं रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
8. बोर्ड द्वारा अनुशंसित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च 2026 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दिखाई देंगे।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत कंपनी को सूचित करें।
10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए/ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषणा की तारीख से सात साल के भीतर संलग्न/दावा नहीं किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। (आईईपीएफ)। उक्त राशि को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के बाद, इस संबंध में आईईपीएफ या कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी पहचान के लिए एजीएम स्थल पर कंपनी द्वारा जारी अपना आईडी कार्ड लेकर

आएं।

12. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।

व्याख्यात्मक कथन(प्रस्ताव क्रमांक 8)

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलीन होने वाली कंपनी") का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय प्राप्त करने वाली कंपनी") में विलय

1. आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("आशा") के बारे में

- a. आशा एक उत्पादक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अंतर्गत 21 मार्च 2016 को निगमित हुई। यह मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण तथा "मरुधरा" ब्रांड नाम के अंतर्गत उसके विपणन के व्यवसाय में संलग्न है तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में लगी है।
- b. आशा का कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U01122RJ2016PTC049656 है।
- c. आशा का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं.-03, पानेरियो की मादड़ी, सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सविना, उदयपुर एच मगरी, उदयपुर, गिरवा, राजस्थान- 313 002, भारत में स्थित है।
- d. आशा के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, आशा के मुख्य उद्देश्य हैं:
 - (1) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यवसाय करना तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।
 - (2) सदस्यों के लाभ हेतु दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजनन, चारा/फीड, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना अथवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
 - (3) सदस्यों के मध्य पारस्परिकता एवं परस्पर सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां प्रदान करना।
 - (4) सदस्यों एवं अन्य से प्राप्त दूध की गुणवत्ता कंपनी एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना।
 - (5) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी खाद्य तेल, फल एवं सब्जियों सहित (परंतु इन तक सीमित नहीं) प्राथमिक उपज एवं इसके व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) के क्रय, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना एवं तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।
 - (6) सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
- e. आशा के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का खंड 14 इसकी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके समामेलन, विलय अथवा विभाजन का प्रावधान करता है।
- f. 31 मार्च 2026 को यथास्थिति आशा की अधिकृत, निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है: ।

विवरण	राशि रुपए में
-------	---------------

अधिकृत शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 15,00,000 इक्विटी शेयर	रु.15,00,00,000/-
कुल	रु.15,00,00,000/-
निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 8,30,598 इक्विटी शेयर	रु.8,30,59,800/-
कुल	रु.8,30,59,800/-

इस नोटिस के जारी होने की तारीख पर आशा (Asha) की निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी ₹8,78,13,100 है, जो ₹100 प्रति शेयर वाले 8,78,131 शेयरों में विभाजित है।

2. उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("उजाला") के बारे में

- उजाला एक उत्पादक कंपनी है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 01 अक्टूबर 2020 को निर्गमित हुई। उजाला मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण तथा उसके विपणन के व्यवसाय में संलग्न है तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में लगी है।
- उजाला का कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U01400RJ2020PTC071310 है।
- उजाला का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, प्लॉट नं. 110, 111-ए, आर.के. पुरम, काला बादल सामुदायिक भवन के पास, कोटा, राजस्थान- 324 010, भारत में स्थित है।
- उजाला के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, उजाला के मुख्य उद्देश्य आशा के समान ही हैं
 - मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यवसाय करना तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।
 - सदस्यों के लाभ हेतु दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजनन, चारा/फीड, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना अथवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
 - सदस्यों के मध्य पारस्परिकता एवं परस्पर सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां प्रदान करना।
 - सदस्यों एवं अन्य से प्राप्त दूध की गुणवत्ता कंपनी एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना।
 - मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी खाद्य तेल, फल एवं सब्जियों सहित (परंतु इन तक सीमित नहीं) प्राथमिक उपज एवं इसके व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) के क्रय, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना एवं तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।
 - सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
- उजाला के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का खंड 14 भी इसकी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके समामेलन, विलय अथवा विभाजन का प्रावधान करता है।

f. 31 मार्च 2026 को यथास्थिति उजाला की अधिकृत, निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

विवरण	राशि रुपए में
अधिकृत शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 10,00,000 इक्विटी शेयर	रु.10,00,00,000
कुल	रु.10,00,00,000
निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 3,78,794 इक्विटी शेयर	रु. 3,78,79,400 /-
कुल	रु. 3,78,79,400/-

इस नोटिस के जारी होने की तारीख पर उजाला (Asha) की निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी ₹3,87,58,100 है, जो ₹100 प्रति शेयर वाले 3,87,581 शेयरों में विभाजित है।

3. प्रस्तावित विलय हेतु तर्काधार (रैशनल)

- आशा एवं उजाला दोनों अधिनियम के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियां हैं। दोनों कंपनियां समान व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, अर्थात् मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों का संग्रहण, क्रय एवं प्रसंस्करण, उसका विपणन तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्नता। दोनों कंपनियों के व्यापक व्यावसायिक परिचालन में उत्पादकता बढ़ाने हेतु सदस्यों को पशु आहार, खनिज मिश्रण, साइलेज एवं कैल्शियम की आपूर्ति तथा बेहतर प्रजनन प्रथाओं एवं समग्र पशु स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने हेतु सदस्यों को कृत्रिम गर्भाधान (एआई) एवं पशु चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।
- आशा का उजाला में विलय उजाला के व्यावसायिक परिचालन के विस्तार हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उजाला को अधिक दूध खरीद मात्रा, सदस्य आधार एवं समग्र परिचालन पैमाना प्राप्त होगा, साथ ही व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति का विस्तार एवं सुदृढीकरण होगा। पाली, सिरौही, जालोर, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बलोतरा एवं बाड़मेर के क्षेत्र, जहां उजाला की अभी तक दूध संग्रहण नेटवर्क स्थापित नहीं है परंतु आशा की पहले से उपस्थिति है, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ के वर्तमान क्षेत्रों के साथ उजाला के परिचालन में जुड़ जाएंगे, जिससे उसका राजस्व बढ़ेगा तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले सदस्यों की आय भी बढ़ेगी। यह विलय परिचालन नकदी प्रवाह के अधिक कुशल प्रबंधन में सहायता करेगा।
- आगे, आशा ने 7 (सात) मिल्क चिलिंग सेंटर्स (एमसीसी) एवं 5 (पाँच) बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) से युक्त एक सुदृढ खरीद एवं अवसंरचना नेटवर्क स्थापित किया है। विलय पर, यह अवसंरचना उजाला के विद्यमान 4 (चार) मिल्क चिलिंग सेंटर्स (एमसीसी) एवं 6 (छः) बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) के नेटवर्क के साथ एकीकृत होगी, जिससे एक बहुत बड़ा एवं अधिक कुशल परिचालन मंच सृजित होगा। संयुक्त नेटवर्क केंद्रीकृत एवं सुव्यवस्थित परिचालन को सुगम बनाएगा तथा विलय की गई संस्था की दूध हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स एवं प्रसंस्करण क्षमताओं में सुधार करेगा।
- दोनों कंपनियों के प्रबंधन ने दोनों कंपनियों के पूर्व एवं वर्तमान व्यावसायिक कार्यों एवं परिचालनों की स्थिति का मूल्यांकन किया है तथा उनका मत है कि सुविधाओं के पूर्ण एकीकरण के माध्यम से विलय के जरिए दोनों कंपनियों

के व्यवसाय के समेकन से तालमेल (सिनर्जी) एवं लाभ प्राप्त होंगे।

- e. संयुक्त व्यावसायिक परिचालन हेतु उजाला की अवसंरचना का उपयोग किया जा सकता है, जिससे बेहतर दूध शीतलन एवं भंडारण दक्षता प्राप्त हो सकेगी, जिससे संसाधनों की दोहराव कम होगी तथा दोनों कंपनियों के सदस्यों एवं हितधारकों को लाभ होगा।
- f. यद्यपि आशा का परिचालन दायरा व्यापक है, बोर्ड ने निर्धारित किया है कि आशा का उजाला में विलय भविष्य की वृद्धि हेतु एक अधिक उपयुक्त मंच प्रदान करता है, निम्नलिखित कारणों से:
 - 1. प्रस्तावित विलय दोनों कंपनियों की बाज़ार उपस्थिति को समेकित करेगा, जो समान क्षेत्र एवं आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करती हैं। वर्तमान में विखंडित परिचालनों को एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत मिलाकर, विलय की गई संस्था कार्यों की दोहराव समाप्त करेगी, विनियामक एवं परिचालन अनुपालनों को सुव्यवस्थित करेगी तथा प्रशासनिक एवं अनुपालन लागतों को कम करेगी। यह समेकन बड़े पैमाने की मितव्ययिता, सुदृढ़ बाज़ार स्थिति एवं बेहतर समग्र परिचालन दक्षता में भी परिणत होगा।
 - 2. प्रस्तावित विलय विलय की गई संस्था के सदस्य आधार में महत्वपूर्ण विस्तार करेगा। आशा के व्यापक परिचालन दायरे एवं विशाल सदस्यता नेटवर्क को देखते हुए, इसके सदस्यों का उजाला में एकीकरण एक व्यापक एवं सुदृढ़ सामूहिक मंच सृजित करेगा, जिससे बड़े पैमाने की मितव्ययिता तथा सभी सदस्यों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।
 - 3. आशा ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कई प्रमुख बैंकों तथा विभिन्न सरकारी अनुदान एजेंसियों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं। वर्षों में विकसित ये संस्थागत संबंध महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मूल्य दर्शाते हैं तथा विलय के प्रभावी होने पर, ऋण सुविधाओं, सरकारी डेयरी विकास योजनाओं एवं अन्य विकासात्मक वित्तपोषण अवसरों तक उजाला की पहुंच को सुदृढ़ करेंगे।
- g. तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तथा अपने किसी भी ऋणदाता एवं सदस्यों के प्रति दोनों कंपनियों के दायित्वों एवं देयताओं में कोई कमी न होने के दृष्टिगत, दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अधिनियम की धारा 378ZN एवं तत्संबंधी अन्य लागू प्रावधानों तथा तत्संबंधी नियमों के अनुसार आशा का उजाला में विलय करने का निर्णय लिया है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मानना है कि प्रस्तावित विलय प्रस्ताव सभी हितधारकों को लाभ सुनिश्चित करेगा तथा सभी शेयरधारकों के लिए मूल्य वृद्धि करेगा।

4. विलय को नियंत्रित करने वाले विनियामक प्रावधान

- a. आशा एवं उजाला "प्राथमिक उत्पादकों" के इक्विटी अंशदान से निगमित उत्पादक कंपनियां हैं तथा यह उन्हीं तक सीमित है, अर्थात् उत्पादक कंपनियों में कोई सरकारी अथवा निजी इक्विटी भागीदारी नहीं हो सकती तथा सदस्य की इक्विटी का व्यापार नहीं किया जा सकता, केवल किसी अन्य पात्र उत्पादक को अंतरित किया जा सकता है।
- b. अधिनियम की धारा 378जी यह प्रावधान करती है कि उत्पादक कंपनी की सदस्यता स्वैच्छिक है तथा सभी पात्र

व्यक्तियों हेतु उपलब्ध है, जो उत्पादक कंपनी की सुविधाओं अथवा सेवाओं में भाग लेने अथवा उनका लाभ उठाने के हकदार हैं तथा सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करने हेतु इच्छुक हैं तथा इन कंपनियों के सदस्य महिला डेयरी किसान हैं, जिनमें बहुसंख्य लघु एवं सीमांत किसान हैं जिनकी वहनीयता के साधन सीमित हैं।

- c. उत्पादक कंपनियों को अधिनियम में उत्पादक कंपनियों को नियंत्रित करने हेतु प्रस्तुत विशिष्ट अध्याय XXIA द्वारा एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, जिसका प्रचलित समय में लागू किसी भी अन्य अधिनियम के प्रावधानों अथवा विधि पर अध्यारोही प्रभाव है (अधिनियम की धारा 378ZQ)।
- d. अधिनियम की धारा 378ZN में दो अथवा अधिक उत्पादक कंपनियों के विलय अथवा समामेलन हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जो इसकी साधारण सभा में विलय के विस्तृत प्रावधानों वाले प्रस्ताव के पारित होने का प्रावधान करती है। उक्त प्रस्ताव एक अभिहस्तांतरण (कन्वेयंस) के रूप में कार्य करता है, जो परिसंपत्तियों, दायित्वों, करारों, कर्मचारियों आदि को उजाला में निहित करता है।
- e. अधिनियम की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसरण में, इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ आशा का नाम हटा देगा।
- 5. दोनों कंपनियों के बोर्ड ने अपनी संबंधित बोर्ड बैठक में, जो [*] एवं [*] को आयोजित हुई, आशा के उजाला में विलय के संबंध में प्रस्ताव पारित किया।
- 6. संलग्न सूचना एवं व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज़, सूचना प्रेषण की तिथि से बैठक की तिथि तक, सभी कार्यदिवसों (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- 7. कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके संबंधियों में से कोई भी उपरोक्त प्रस्ताव में वित्तीय अथवा अन्य किसी रूप से चिंतित अथवा हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु संलग्न नोटिस की मद संख्या 8 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

SD/-

स्थान : कोटा

दिनांक: 18 अगस्त 2026

दिनेश चन्द्र चौधरी

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

व्याख्यात्मक कथन (प्रस्ताव क्रमांक 9)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378-1 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 102 के तहत)

कंपनी की ऑपरेशनल ज़रूरतों, गवर्नेंस के तरीकों और प्रोड्यूसर कंपनियों से जुड़े कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन ("AoA") की समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर, गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मज़बूत करने और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 4.3.(iii), 4.4, 4.5, 9.6 (i) और 9.16 में कुछ बदलावों का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलावों में मुख्य रूप से नोटिस भेजने से जुड़े प्रावधानों को अपडेट करना, गैर-ज़रूरी प्रावधानों को हटाना और अतिरिक्त गवर्नेंस ज़रूरतों को शामिल करके डायरेक्टर्स के लिए योग्यता और अयोग्यता के मानदंडों को मज़बूत करना शामिल है। इन बदलावों का मकसद बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा देना, आर्टिकल्स में स्पष्टता लाना, दोहराव को हटाना, कानूनी प्रावधानों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और कंपनी के प्रोड्यूसर सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के कुशल कामकाज को सुविधाजनक बनाना है।

मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन की एक कॉपी, प्रस्तावित बदलावों के साथ, इस तारीख से लेकर मीटिंग की तारीख तक सभी कामकाजी दिनों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सदस्यों द्वारा देखने के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल की मंजूरी के लिए साथ लगे नोटिस के आइटम नंबर 9 में दिए गए स्पेशल रेज़ोल्यूशन की सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का हित या जुड़ाव नहीं है, सिवाय उस हद तक, जितना कि कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी हो।

निदेशक मंडल के आदेश से

SD/-

स्थान : कोटा

दिनेश चन्द्र चौधरी

दिनांक: 18 अगस्त 2026

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की छठी वार्षिक आम बैठक की कार्यवृत्त जो की शुक्रवार, 19 सितंबर 2025 को होटल 5 फ्लावर्स अनंता एलीट, SP-03, चंबल इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू बस स्टैंड कोटा, राजस्थान-324 007 में आयोजित कि गई थी। बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई और दोपहर 01:15 बजे समाप्त हुई

उपस्थित :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. श्रीमती अनीता कुमारी | : अध्यक्ष एवं अंशधारक |
| 2. श्रीमती श्वेता शर्मा | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 3. श्रीमती अनुराधा मीणा | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 4. श्रीमती विद्या भंवर | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 5. श्रीमती संगीता कुमारी दाँगी | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 6. श्रीमती रीना कुमारी | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 7. श्रीमती जस्विन्दर कौर | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 8. श्रीमती अमीषा गौतम | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 9. श्रीमती उर्मिला कुमारी मीणा | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 10. श्रीमती मंजु बाई | : निदेशक एवं अंशधारक |
| 11. श्री नरेंद्र बहगा | : विशेषज्ञ निदेशक |
| 12. श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता | : विशेषज्ञ निदेशक |
| 13. श्री दिनेश चन्द्र चौधरी | : मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक |
| 14. श्री विपुल जैन | : कंपनी सचिव |

- A. श्रीमती अनीता कुमारी ने अध्यक्षता की एवं कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।
- B. तत्पश्चात कंपनी सेक्रेटरी श्री विपुल जैन ने बताया कि अटेंडेंस रजिस्टर के अनुसार, **2729** शेयर रखने वाले **95** सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे एवं **1,37,822** शेयर रखने वाले **10,181** शेयरहोल्डर प्रॉक्सी के ज़रिए मौजूद थे। उन्होंने आगे बताया कि कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 378ZA (9) और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 11.6 के अनुसार, ज़रूरी कोरम **7127** सदस्यों का है।
- C. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद घोषणा की कि कोरम मौजूद है।
- D. कंपनी सचिव ने कहा कि प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध है एवं निरीक्षण

के लिए खुले है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं एवं इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

- E. अध्यक्ष ने कंपनी की छठवीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों, निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि वाक्य को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।
- F. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, छठवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस पहले ही सदस्यों को वितरित कर दिया गया, जिसे पढ़ा हुआ माना गया।
- G. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बैठकों की जानकारी दी।
- H. तत्पश्चात, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्री विपुल जैन ने बैठक के एजेंडे के विषयों पर चर्चा की:

इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्री विपुल जैन ने बैठक के एजेंडे की मदों को प्रस्तुत किया:

बैठक में निम्नलिखित कार्य किये गये:

- 1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए अवधि के बैलेंस शीट एवं कंपनी के लाभ एवं हानि खाते के साथ उपलब्ध एवं आवश्यक नोट, निदेशकों तथा लेखा परीक्षक के रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने एवं उसे अपनाने एवं इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिए।
- 1.1 कंपनी सचिव श्री विपुल जैन ने खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पढ़ी।
- 1.2 इसके बाद, सदस्यों ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के खातों पर विचार-विमर्श किया।

श्रीमती ऋतु कुमारी (फोलियो संख्या: 0002611) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 1/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 को ऑडिट की गई बैलेंस शीट, निर्धारित अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, जो अनुसूचियों और नोटों के साथ है और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की कंपनी की रिपोर्ट के साथ है इसके द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

श्रीमती रवीना कुमारी (फोलियो नं.: 0004623) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. शेयरधारकों को सीमित प्रतिफल (लाभांश) के भुगतान पर विचार एवं सिफारिश करने के लिए एवं इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिए।

श्रीमती कविता मीणा (फोलियो संख्या: 0029284) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या 2/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वर्तमान मुनाफे में से ₹ 7/- प्रति इक्विटी शेयर, 100 रुपये के 3,68,483 इक्विटी शेयरों एवं अवशोषित रु.25,79,381/- लाभांश की घोषणा को स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है। लाभांश उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में उल्लेखित हैं।”

श्रीमती द्रोपदी बाई (फोलियो नंबर: 0009099) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती सविता चौधरी (DIN 09617011), जो की रोटेशन से रिटायर हो रही हैं एवं खुद को योग्य पाते हुए पुनः नियुक्ति के लिए पेश किया हैं, इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु।

श्रीमती रामरेखा (फोलियो नं.: 0026965) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 3/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती सविता चौधरी (DIN 09617011), कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक (AGM) में रोटेशन के नियम के तहत रिटायर हो रही हैं और जिन्होंने दोबारा नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा जताई है, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूम में फिर से नियुक्त किया जाता है; वे आगे भी रोटेशन के नियम के तहत रिटायर होने की शर्त के अधीन रहेंगी।”

श्रीमती मनीषा चौधरी (फोलियो नंबर: 0027953) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती अनीता कुमारी (DIN 09689486), जो की रोटेशन से रिटायर हो रही हैं एवं खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश किया हैं, इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु।

पूनम (फोलियो नं.: 0025807) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 4/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है श्रीमती अनीता कुमारी (DIN 09689486), कंपनी की निदेशक, जो कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक (AGM) में रोटेशन के नियम के तहत रिटायर हो रही हैं और जिन्होंने दोबारा नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा जताई है, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूम में फिर से नियुक्त किया जाता है; वे आगे भी रोटेशन के नियम के तहत रिटायर होने की शर्त के अधीन रहेंगी।”

श्रीमती सीमा मीणा (फोलियो नंबर: 0033136) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन एवं निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिए:-

श्रीमती मीना बाई (फोलियो नं.: 0015481) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 5/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए कंपनी के बजट को निर्धारित किया गया, जिसे वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है एवं इसके लिए अनुमोदित है।”

श्रीमती शिमला (फोलियो नंबर: 0015811) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्रीमती अमीषा गौतम (DIN 11210461) को निदेशक पद पर नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन एवं निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिए:-

श्रीमती अंजु लता बाई (फोलियो नं.: 0000074) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 6/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती अमीषा गौतम, जिन्हें 24 जुलाई, 2025 कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो कि इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहेगी, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिनका कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

श्रीमती फुलन्ता बाई (फोलियो नंबर: 0004625) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. श्रीमती उर्मिला कुमारी मीणा (DIN 11210466) को निदेशक पद पर नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन एवं निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिए:-

श्रीमती संजना (फोलियो नं.: 0017844) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 7/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती उर्मिला कुमारी मीणा को जिन्हें 24 जुलाई, 2025 कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो कि इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहेगी, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिनका कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

श्रीमती सुमन कुमारी (फोलियो नंबर: 0031107) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. श्रीमती मंजु बाई (DIN 11210488) को निदेशक पद पर नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन एवं निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिए:-

श्रीमती संतोष बाई (फोलियो नं.: 0005996) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 8/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती मंजु बाई को 16 जुलाई 2024 जिन्हें 24 जुलाई, 2025 कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो कि इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहेगी, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिनका कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

श्रीमती इंद्रा बाई (फोलियो नंबर: 0003339) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंडों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:-

श्रीमती मंजु बाई (फोलियो नं.: 0013522) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 9/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, 23 दिसंबर 2020 को आयोजित पहली वार्षिक आम बैठक में पारित प्रस्ताव के स्थान पर, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, सदस्यों की व्यवसाय में भागीदारी (अर्थात् संरक्षण) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड नीचे दिए गए हैं।”

क्र.	मानदंड	वर्ग A	वर्ग B	वर्ग C
1	एक वर्ष में एमपीसी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या	≥ 300	≥ 270	≥ 200
2	एमपीसी को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक दूध मात्रा (लीटर में)	≥ 5000	≥ 1500	≥ 500
3	फ्लश (अर्थात् नवंबर से फरवरी) और लीन (अर्थात् अप्रैल से जुलाई) का दूध आपूर्ति अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए	फ्लश दू लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होगा	फ्लश दू लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होगा	फ्लश दू लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होगा
4	एमपीसी शेयरों की न्यूनतम संख्या (अंशदानित शेयर पूंजी की राशि)	50 शेयर (₹. 5000/-)	15 शेयर (₹. 1500/-)	5 शेयर (₹. 500/-)

नोट:

क. वास्तविक अंशदान या आपूर्ति की गई वास्तविक दूध मात्रा, जो भी कम हो, को वर्ग के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

ख. संरक्षण गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

- वे सदस्य जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भर्ती हुए हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी जमा कर दी है, उन्हें उस वर्ग से संबंधित माना जाएगा।
- कोई भी सदस्य जो वर्ग A या वर्ग B के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे उस उपयुक्त निम्न वर्ग में स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके लिए वह मानदंड पूरा करता है। हालाँकि, वे उस वर्ष निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।
- वे सदस्य जो कम से कम 'क्लास सी' बने रहने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 8 के साथ अनुच्छेद 4.3 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

एतद्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किए जाएंगे तथा वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी होंगे।”

श्रीमती देवा बाई (फोलियो नंबर: 0033086) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करने हेतु।

श्रीमती ज्योति कौर (फोलियो नं.: 0031960) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 10/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम के भाग XXI-ए के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-1 एवं धारा 14 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें इसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, के अनुसरण में, नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों को अपनाने एवं अनुमोदन के लिए कंपनी के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है।

- i. उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक "नामांकन समिति", (एनसी) का गठन करेगा, जो बोर्ड को 'कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार' का सुझाव देगा।
- ii. बोर्ड में निर्माता निदेशकों (वर्ग ए, वर्ग बी, या वर्ग सी श्रेणी के अंतर्गत) की रिक्ति की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचारार्थ पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना (बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए) कंपनी के सूचना पट्ट पर और/या कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, और/या साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी में पंजीकृत ईमेल आईडी पर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/विध के माध्यम से संबंधित वर्ग(वर्गों) के सभी पात्र सदस्यों को भेजी जाएगी, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है।
- iii. बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के तहत संदर्भित संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा।
- iv. "नामांकन समिति" पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक की पात्रता स्कोर' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किये गये दूध के दिनों की संख्या का अंकन निम्नानुसार होगा: (95% या उससे अधिक - 30 ; 85% से <95% दिन - 20 ; 75% से <85% - 15 ; 65% to <75% - 10 ; 55% to <65% - 5 ; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं की गई है) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाए रखना @ प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक	30
12वीं पास के लिए 5 अंक, स्नातक के लिए 10 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 15 अंक	15

प्रशिक्षण में भाग लिया- सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण (5 अंक); एलडीपी (नेतृत्व विकास कार्यक्रम)/निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 अंक);	20
कुल	100

- v. बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-
- क) जिस सदस्यता वर्ग के लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, उसमें से बोर्ड में एक निर्माता-सदस्य निदेशक, बशर्ते कि ऐसा निर्माता-सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त न हो रहा हो। यदि एक से अधिक निर्माता-सदस्य अर्हता प्राप्त करते हैं, तो एक एनसी सदस्य की पहचान, उनके बीच किसी समझौते के अभाव में और उसके अधीन, लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि उस वर्ग से कोई निर्माता-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या लॉटरी के माध्यम से किसी अन्य निर्माता-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;
- (ख) एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में हो; और
- (ग) किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या किसी संस्था से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।
- कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा तथा नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- vi. 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की तिथि से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तिथि तक होगा।
- vii. बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

“आगे पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कदम उठाने तथा ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और बातें करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

श्रीमती आराधना राजपूत (फोलियो नंबर: 0026718) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों में परिवर्तन पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करने हेतु।

श्रीमती गीता बाई (फोलियो नं.: 0033911) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

Resolution No. 11/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-ए के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-1 और 14, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ें (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी के शेयरधारकों की सहमति कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में नीचे बताए गए तरीके और सीमा तक परिवर्तन के लिए दी जाती है:

1. मौजूदा अनुच्छेद 9.5 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा;

बोर्ड में सदस्यों के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, जहाँ तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। यह आवश्यकता कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगी।

2. मौजूदा अनुच्छेद 9.6 ii को परिवर्तित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए;

वार्षिक आम बैठक में बोर्ड में भरी जाने वाली कोई भी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश पर आधारित होगी। यह प्रावधान कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगा।

3. मौजूदा अनुच्छेद 9.7 को परिवर्तित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए;

“बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशक या निदेशक को सहयोजित कर सकता है, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पहचाने गए सदस्य ने कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंडों को पूरा किया हो और इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक या कम अवधि के लिए पद धारण करेंगे यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा निर्णय लेता है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को बाद के दो वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए सहयोजित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, 'कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड' की आवश्यकता कंपनी की 6वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगी।

“आगे पारित किया जाता है कि, उपरोक्त परिवर्तनों से पहले कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्यवाही, कर्म और चीजें भी इसके द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

“आगे पारित किया जाता है कि, यह सभी पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं का स्थान लेगा।

“आगे पारित किया जाता है कि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती मनीषा गोचर (फोलियो नंबर: 0000585) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

श्रीमती सुमन बाई (फोलियो नं.: 0010245) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या. 12/6th AGM: 19.09.2025: 2025-26

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन सामान्य आरक्षित निधि के 30% की सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता लेने और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रदान किया जाता है।

“आगे पारित किया जाता है कि, कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई शुरू करने और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए अलग-अलग अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती रज्जिंदर कौर (फोलियो नंबर: 0021901) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठा कर सर्वसम्मति से पारित किया।

13. बैठक में चर्चा हेतु कोई अन्य विषय नहीं होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

दिनांक : 07 अक्टूबर 2025

SD/-

अध्यक्ष

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रास्ताविक बजट अनुमान

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड राजस्व बजट					
अनुक्रमांक	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 25-26	आउटलुक मार्च 2026	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2026-27
(I)(a)	दूध खरीद मात्रा (Milk Procurement Quantity)	किलोग्राम प्रति दिन	79,311	67,087	93,124
(I)(b)	दूध खरीद मात्रा अन्य पार्टिओ से (Milk Procurement Quantity Local Buyer)		-	-	13,316
(II)	दूध संचालन से राजस्व (Revenue from Milk Operation)	(रु. लाख में)	17,700.20	20,786.61	23,773.65
(III)	उत्पादक मूल्य (Producers Price)	(रु. लाख में)	15,148.19	18,658.29	20,722.77
(IV)	सहायक मार्जिन(Sahayak Margin)	(रु. लाख में)	272.82	139.03	362.52
(V)	तार्किक लागत (Logistic Cost)	(रु. लाख में)	1,392.12	1,074.33	1,509.62
(VI)	अन्य दूध खरीद लागत (Other Milk Procurement Cost)	(रु. लाख में)	302.66	272.51	361.29
(VI)	निश्चित लागत (Fixed Cost)	(रु. लाख में)	559.67	576.90	777.48
(VIII)	अनुदान सहायता से पहले दुग्ध संचालन से लाभ/(हानि) (Profit/(Loss) from Milk Operation before Grant Support)	(रु. लाख में)	24.74	65.56	39.96
(IX)	PES program cost	(रु. लाख में)	87.33	100.59	153.33
(X)	घी (Ghee)	(रु. लाख में)	-	-	2.34
(XI)	अन्य आय (Other Income**)	(रु. लाख में)	113.59	156.83	129.20
(X)	अनुदान सहायता के बाद दुग्ध संचालन से लाभ/(हानि) (Profit/(Loss) from Milk Operation after Grant Support)	(रु. लाख में)	51.00	121.80	18.17

कैपेक्स बजट (पूँजीगत व्यय बजट)Capex Budget				
अनुक्रमांक	विवरण	माप की इकाई	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2026-27	
A	दूध संचालन (Milk Operation)		मात्र	राशि
1	DPMCU	(रु. लाख में)	340	272
2	सोडियम एनालाइज़र (Sodium analyzer)	(रु. लाख में)	4	6
3	मिल्कोस्क्रीन (MilkoScreen)	(रु. लाख में)	9	36
4	बीएमसी (BMC)	(रु. लाख में)	7	164.5
5	ग्लाइकोल सिस्टम (Glycol System)	(रु. लाख में)	1	23.5
6	SAP	(रु. लाख में)	1	100
7	अन्य लैब आइटम (Other Lab Items)	(रु. लाख में)	1	80
	Total	(रु. लाख में)	363	682.00

अंशधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

निदेशकों को 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अकेछित खाते के साथ कंपनी के संचालन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(राशि लाख रुपया में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	22,185.14	13,399.45
अन्य आय	220.15	175.67
कुल आय	22,405.29	13,575.12
कुल व्यय	22,274.14	13,275.05
कर से पहले की लाभ/(हानि)	131.15	300.07
कर व्यय	32.35	71.15
कराधान के लिए प्रावधान	98.80	228.92
कर के बाद की लाभ / (हानि)		

कंपनी के संचालन का विवरण

कंपनी ने इस अवधि के दौरान ₹ 2,24,05,28,975.67/- रुपये का कारोबार किया है, जिसमें परिचालन राजस्व ₹ 2,21,85,14,685.43/- और अन्य आय ₹ 2,20,14,290.24/- अवधि के दौरान किए गए कुल खर्च ₹ 2,22,74,13,216/- वर्ष के लिए कुल लाभ ₹ 98,81,119.1/- रुपये था।

लाभांश

शेयरधारकों को शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा का कंपनी का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को देखते हुए, ने 06 अगस्त 2026 को हुई अपनी बैठक में ₹ 7/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 26,51,558/- अवशोषित लाभांश की सिफारिश करते हुए खुश हैं। सीमित रिटर्न (लाभांश) का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2026 को कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित थे।

सामान्य संचय में हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZI के साथ कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद संख्या 11.10 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड वित्त वर्ष 2025-26 के टैक्स के बाद कुल लाभ में से ₹72,29,561.10/- रुपये बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व के क्रेडिट के लिए हस्तांतरण करने का प्रस्ताव करता है।

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित लाभांश इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अवैतनिक या दावारहित रहता है तो ऐसा दावा न किया गया या अवैतनिक लाभांश कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज के साथ, यदि कोई हो, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ('आईईपीएफ'), धारा 125 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित एक फंड में स्थानांतरित किया जाएगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश की किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचालन की समीक्षा

दूध की खरीद

कंपनी के दूध खरीद संचालन को पाँच एमसीसी एवं दो बीएमसी के माध्यम से कोटा, झालरवाड़, बाराँ, बूंदी एवं चित्तोडगढ़ जिले के 876 गांवों में जारी है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रतिदिन 66.71 हजार किलो औसत के साथ 243.51 लाख लीटर तरल दूध की खरीद की है।

वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी के पास 26,235 बोर्ड अनुमोदित सदस्य थे। वर्ष के दौरान कुल नामांकित सदस्यों में से 12,287 सदस्यों ने दूध की आपूर्ति की है। इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के काम में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों की आपसी सहायता और समर्थन के साथ आने के लिए उच्च चोटियों तक पहुंच जाएगा।

खरीद मूल्य के संबंध में, कंपनी अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के प्रति प्रतिस्पर्धी और पारिश्रमिक मूल्य का भुगतान कर रही है।

कंपनी सदस्यों से दूध संकलन बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने एवं परिवहन (लॉजिस्टिक्स) लागत को कम करने के लिए बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है।

भविष्य की योजना

कोटा, झालरवाड़, बारों एवं बूंदी जिले के अधिक दूध उत्पादकों को संगठित दूध खरीद और कंपनी के संस्थागत ढांचे के दायरे में लाने के लिए है। कंपनी अब अपने व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार और भी करेगी।

विलय और एकीकरण: -

इस वर्ष के दौरान, निदेशकों ने आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के साथ विलय की योजना को मंजूरी दी है।

गुणवत्ता की पहल (Quality Initiative):

सभी मिल्क चिलिंग सेंटर (MCC) एवं बल्क मिल्क कूलर (BMC) कच्चे दूध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए, कंपनी स्वच्छता से संबंधित सभी सदस्यों, कर्मचारियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जो सीधे दूध की गुणवत्ता से जुड़े हैं।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएं (Productivity Enhancement Services):

विश्वस्तरीय कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं (Artificial Insemination (AI) Services):

कंपनी दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने और नस्ल में सुधार के साथ अपने परिचालन क्षेत्र में किसानों की आय को अधिकतम करने के लिए उच्च गुणवत्ता का सीमन का उपयोग करके प्रशिक्षित योग्य तकनीशियनों के माध्यम से विश्वस्तरीय कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं प्रदान कर रही है।

कंपनी स्थानीय युवाओं को भर्ती करने में तरजीह देती है और उन्हें एनडीडीबी के प्रशिक्षण केंद्र में 45 दिनों का गहन प्रशिक्षण प्रदान करवाती है। कृत्रिम गर्भाधान के 21 दिनों के बाद पुनः गर्मी के लिए जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच करना और पशु के ब्याने का विवरण ईनाफ़ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है।

गत वर्ष के दौरान, कंपनी 10573 विश्वस्तरीय कृत्रिम गर्भाधान करने में सफल रही।

पशु आहार (Cattle Feed):-

कंपनी ने गत वर्ष के दौरान लगभग 1711 मेट्रिक टन उच्च गुणवत्ता का पशु आहार अपने सदस्यों को लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाया है।

मिनरल मिक्सचर (Mineral Mixture) :-

कंपनी ने दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए लागत मूल्य पर, उपलब्ध चारा, जलवायु और खेलाने की आदतों पर विचार करते हुए कंपनी के ब्रांड नाम “उजाला मिन” के नाम से मिनरल मिक्सचर विकसित किया है। कंपनी ने गत वर्ष के दौरान लगभग 34.22 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर अपने सदस्यों को लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाया है।

उत्पादक संस्था निर्माण (Producer Institution Building):

पीआईबी बेहतर प्रशासन और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापार को मजबूत करता है। पीआईबी के विभिन्न प्रयासों से कंपनी के व्यवसाय में सदस्यों को भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर लागत नियंत्रण होती है।

पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपने सटीक, पारदर्शी शासन प्रणाली और सदस्यों के संरक्षण के बराबर सदस्य इक्विटी के माध्यम से डेयरी सेक्टर के अन्य संस्थाओं से प्रोड्यूसर कंपनी को अलग करती हैं।

कंपनी के मूलभूत सिद्धांत (MPC'S Core Design Principles):

कंपनी के मूलभूत सिद्धांत का सख्ती से पालन किया गया। केवल सदस्यों के साथ व्यापारिक व्यवहार सीमित थे। सक्रिय उपयोगकर्ता को सदस्यता, व्यवसाय और शासन में उनकी भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान दूध आपूर्ति के अनुपात में शेयर पूंजी में योगदान किया है।

ग्रामीण स्तर पर सदस्यों के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया जा रहा है, जो सदस्यों और कंपनी के बीच दो-तरफ़ा संचार के माध्यम से नियमित आधार पर मिलकर सदस्यों की शिकायतों का निवारण करते हैं। कर्मचारियों को व्यावसायिक संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है जिससे जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल हो।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Training & Capacity Building Programs):

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सदस्यों, संभावित सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित किए गए प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न थे:

क्रम संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम- निदेशक मंडल	1	3
2.	एक्सपोजर विज़िट - निदेशक मंडल	1	5
3.	निर्माता जागरूकता कार्यक्रम (पीएपी)	160	3475
4.	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएमपी)	160	3319
5.	महिला जागरूकता कार्यक्रम (डब्ल्यूएपी)	160	3760
6.	ओरिएंटेशन प्रोग्राम- वीसीजी/एमआरजी	90	497
7.	ओरिएंटेशन प्रोग्राम- आईबी/प्रोक	2	60
8.	रिफ्रेशर प्रोग्राम- आईबी/प्रोक	1	11
9.	गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों का प्रशिक्षण (बीएमसी/क्लस्टर/एचओ)	4	20
10.	सहायक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	22	221
11.	सहायक पुनश्चर्या	7	800
12.	फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण (कौशल विकास/प्रेरणा, आदि)	3	45
13.	टीम निर्माण और नेतृत्व विकास	1	8
14.	MAIT प्रशिक्षण	2	55

वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन (Material Changes After Closure Of Financial Year):-

31 मार्च, 2026 के बाद से इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुआ हैं। नियामकों और न्यायालयों द्वारा पारित कोई ऐसा महत्वपूर्ण आदेश नहीं हैं जो कंपनी के प्रगतिशील प्रतिष्ठान की स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेंगे।

कारोबार के स्वभाव में बदलाव (Change in Nature of Business):

समीक्षारत वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाया गया।

शेयर पूंजी और सदस्यता (Share Capital and Membership):-

31 मार्च, 2026 तक, कुल इक्विटी शेयर पूंजी ₹3,78,79,400 /- थी जिसमे 3,78,794 इक्विटी शेयर (प्रति शेयर ₹ 100/-), और कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर कुल 26,235 सदस्य थे।

मतदान अधिकार और एजीएम में उपस्थिति (Voting Rights and Attendance at AGM):

उन दुग्ध उत्पादकों, जो इस रिपोर्ट की तारीख के सदस्य थे, एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे। मतदान के अधिकार उन दुग्ध उत्पादकों को होगा जिन्होंने वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है ऐसे सदस्यों का वोट एक वोट प्रति सदस्य पर आधारित होंगे।

निदेशक मंडल (Board of Directors):-

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में श्रीमती अनुराधा मीणा एवं श्रीमती विद्या भंवर आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त हो जाएंगी श्रीमती अनुराधा मीणा एवं श्रीमती विद्या भंवर ने खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं किया है।

बैठक:

कंपनी के व्यवसाय के लेन-देन के लिए बोर्ड की समय-समय पर बैठक होती है और विचाराधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की सात बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं।

बोर्ड मीटिंग संख्या	बोर्ड मीटिंग की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित सदस्य
34वीं	16 मई 2025	12	11
35वीं	15 जुलाई 2025	11	9
36वीं	19 अगस्त 2025	14	14
37वीं	07 अक्टूबर 2025	14	13
38वीं	09 दिसम्बर 2025	14	12
39वीं	19 मार्च 2026	14	13

जबकि कंपनी के सदस्यों की छठवीं वार्षिक आम बैठक 19 सितंबर 2025 को बुलाई गई थी एवं इसमें व्यक्तिगत रूप से 2729 शेयर रखने वाले 95 शेयरधारकों एवं प्रॉक्सी के माध्यम से 1,37,822 शेयर रखने वाले 10,181 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

हितधारक संबंध समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के हितधारकों की शिकायत को हल करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया था। हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं: -

- I. श्रीमती श्वेता शर्मा, अध्यक्ष
- II. श्रीमती विद्या भंवर सदस्य

III. श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, सदस्य

13 दिसंबर 2023 को आयोजित 23वीं बोर्ड बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हितधारक समिति की बैठक 19 मार्च 2026 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें बैठक में सभी तीन सदस्य उपस्थित थे।

बोर्ड सदस्यों का अभिभाषण(Orientation Of Board Members):-

रिपोर्ट अवधि के दौरान, निदेशकों ने वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम और व्यवसाय और शासन रणनीति कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझा।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन (Directors' Responsibility Statement):-

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के तहत निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों को चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किये हैं जो कि उचित एवं विवेकपूर्ण हैं और 31 मार्च 2023 को कंपनी के कारोबार का सही एवं निष्पक्ष विवरण प्रदान करती हैं और इस अवधि के लिए कंपनी के सही लाभ और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सके;
- कंपनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ – साथ छल-कपट/धोखेबाज़ी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख – रखाव के लिए, आवश्यक, उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील व्यापार के आधार पर तैयार किए हैं।

लेखा परीक्षक (Auditors):-

कंपनी के ऑडिटर, मैसर्स एस एन धवन & कं एल एल पी, (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली) को दूसरी AGM में पांच साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, एवं उनका कार्यकाल आने वाली 7वीं AGM में खत्म हो रहा है। हालांकि, बोर्ड ने अंशधारकों से मैसर्स एस एन धवन & कं एल एल पी को 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने की सिफारिश की है, जो कि 7वीं AGM के खत्म होने से लेकर 12वीं AGM के खत्म होने तक रहेगा।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा (Internal Control System & Audit):-

कंपनी के पास उचित एवं उपयुक्त आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि सभी सम्पत्तियों को सुरक्षित रखा जाए और सभी लेनदेन अधिकृत हों एवं ठीक से दर्ज किए जाएं। खातों का आंतरिक लेखापरीक्षण नियमित रूप

से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की फर्म मैसर्स एन आर & एसोशिएट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षक स्वतन्त्र रूप से आंतरिक नियन्त्रण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और अंकेक्षण करते हैं।

समष्टिगत सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी का मानना है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि कंपनी की प्रगति के साथ-साथ आसपास के समुदाय और हितधारक भी प्रगति करें। समय-समय पर संशोधित कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, तथापि, उक्त धाराओं के प्रावधान हमारी कंपनी पर लागू नहीं थे।

कास्ट ऑडिट

कंपनी (कास्ट ऑडिट और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कास्ट ऑडिट कंपनी के लिए लागू नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत वर्णन:-

कंपनी की पॉलिसी है कि महिला कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव न हो और किसी भी तरह के यौन शोषण के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाई जाए। यह पॉलिसी 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' और उसके तहत बने नियमों की ज़रूरतों के अनुसार है। सभी कर्मचारियों (स्थायी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, अस्थायी और ट्रेनी) से उम्मीद की जाती है कि वे इस पॉलिसी में बताए गए नियमों का पालन करें और उसी के अनुसार व्यवहार करें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड को कोई शिकायत नहीं मिली और इसलिए कंपनी के पास उक्त अधिनियम की धारा 22 के तहत मामलों के दर्ज होने और उनके निपटारे के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।

जमाएँ: (Deposits) :-

अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर जमा से संबंधित विवरण के संबंध में कोई खुलासा या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के पास कोई जमा निधि नहीं थी।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees & Investments): -

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय लेखों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में विवरण दिखाई देता है।

सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स

हम यह बताना चाहते हैं कि कंपनी, इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया (ICSI) द्वारा जारी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के संबंधित प्रावधानों का पूरी सावधानी से पालन करती है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों या व्यवहारों का विवरण (Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties): -

संबंधित पक्षों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेन-देन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में व्यापार के सामान्य क्रम में एवं आर्म लेंथ आधार पर थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया था, जिसे भौतिक माना जाए या जिसे फॉर्म एओसी-2 में अधिनियम की धारा 188 के साथ पठित धारा 134 (3) (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के संदर्भ में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

वार्षिक रिटर्न का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) और धारा 134(3)(a) तथा कंपनीज़ (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014 के अनुपालन में, 31 मार्च, 2025 तक का कंपनी का वार्षिक रिटर्न, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ujalaamilk.com पर समीक्षा के लिए उपलब्ध है।

मानव संसाधन (Human Resource):-

कर्मचारी कंपनी के लिये संपत्ति की तरह हैं और कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम के काम ने कंपनी को विकास हासिल करने में सक्षम बनाया है। कंपनी ने हमेशा सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन वाले कार्य संस्कृति और पर्यावरण को प्रदान करने के लिए प्रयास किया है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को मान्यता दी जाती है और कर्मचारियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए कंपनी के विज़न, मिशन और मूल्यों (VMV) का संगठन के सभी स्तरों पर सच्चे पात्र और भावना के साथ पालन किया जा रहा है।

जोखिम प्रबंधन नीति (Risk Management Policy): -

कंपनी तेजी से बदलाव के साथ अस्थिर और अनिश्चित दुनिया में काम करती है। ये परिवर्तन कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले अवसरों और अनिश्चितताओं का मिश्रण लाते हैं। जोखिम प्रबंधन, जिसका उद्देश्य इन अनिश्चितताओं के प्रभाव का प्रबंधन करना है, कंपनी की रणनीति निर्धारण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 134 (3) (एन) के अनुसार, बोर्ड द्वारा 10 सितंबर, 2021 की अपनी बैठक में एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन नियमित आधार पर जोखिम की पहचान और निगरानी करता है और प्रक्रिया विकसित करता है। और इसे नियंत्रित करने और इसे कम करने के लिए प्रणाली। नियमित जांच और मूल्यांकन से व्यापार जोखिम का अधिकतम सीमा तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इस प्रकार समय रहते सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

सतर्कता तंत्र

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सतर्कता तंत्र हम पर लागू नहीं होता है।

लंबित अदालती मामले और कानूनी मुकदमे:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कई मौकों पर विक्रेता भुगतान में हेरफेर के माध्यम से कंपनी के वित्त विभाग के दो कर्मचारियों द्वारा रु.83.81 लाख फंड के दुरुपयोग की सूचना मिली है। कंपनी ने एक कर्मचारी से रु.35.70 लाख की वसूली की है। शेष राशि रु. 48.11 लाख का बकाया है जिसके लिए कंपनी ने आर.के. पुरम कोटा पुलिस थाने में भा.दं.स. की धारा 420,409 एवं 34 में दर्ज की है, जिसकी जांच एजेंसी जांच कर रही है।

नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्री आदेशों का विवरण:

नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology):-

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती है और सिस्टम को व्यवस्थित करने और ऑनलाइन बनाने में सहायता करती है। आईटी का मुख्य फोकस संचालन में दक्षता में सुधार, उचित निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां प्रदान करना है।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees):-

रिपोर्ट के तहत साल के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा के बराबर या अधिक वेतन प्राप्त नहीं हुआ।

सुरक्षा और स्वास्थ्य (Safety & Health):-

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। हमेशा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, खासकर उन लोगों को जो भौतिक रूप से दूध को संभालते हैं। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जांच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश और विदेशी विनिमय आय और निकासी (Energy Conservation, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo):-

कंपनी दूध और दूध उत्पादों के व्यापार में है। हालाँकि, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और इस पहल की दिशा में प्रगति करने में संवेदनशील रही है। प्रशासनिक और कार्यालय संचालन उस तरीके से किए जाते हैं जिससे ऊर्जा का उचित उपयोग और अधिकतम बचत संभव हो सके। इसके अलावा, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में कोई विशिष्ट तकनीक शामिल नहीं है। समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और आउटगो शून्य हैं।

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन:-

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए अवलोकन संबंधित नोट्स साथ दिये गये हैं जो स्वयं-व्याख्यात्मक हैं और इसलिए, किसी भी आगे की टिप्पणी के लिए अनुरोध नहीं किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control): -

कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

आभार (Acknowledgement):-

निदेशक मंडल कंपनी के सदस्यों, राजस्थान सरकार ,व्यावसायिक सहयोगी और बैंकर्स द्वारा वर्ष के दौरान उनके निरंतर योगदान और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल राजीविका एवं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ के प्रति भी आभारी है जिन्होंने अपना सतत सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया है।

बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के लिए उनका आभारी है, जिनके सहयोग के बिना कंपनी का इतना समग्र विकास सम्भव नहीं था।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

SD/-

दिनांक: 06 अगस्त 2026

स्थान: कोटा राजस्थान

अनीता कुमारी (अध्यक्ष एवं निदेशक)

(DIN: 09689486)

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of **Ujalaa Milk Producer Company Limited**

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Ujalaa Milk Producer Company Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2026, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act (AS) and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2026, and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Board's report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained during our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Management and Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of

Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management.

- Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Directors use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal financial controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other legal and regulatory requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the '**Annexure A**' a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report to the extent applicable that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books, except for the matter stated in paragraph 2(i)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.
- (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
- (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2026 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- (f) The modifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in paragraph 2(b) above on reporting under section 143(3)(b) of the Act and paragraph 2(i)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.
- (g) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in '**Annexure B**'.
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, as amended; in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company being a private Company, Section 197 of the Act related to the managerial remuneration is not applicable.
- (i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its financial statements;
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. (a). The Management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b). The Management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(c). Based on the audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. The final dividend paid by the Company during the year, in respect of the same declared for the previous year is in accordance with Section 123 of the Act to the extent it applies to payment of dividend.

As stated in Note 41 to the financial statements, the Board of Directors of the Company has proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting of the Company. The amount of dividend proposed is in accordance with Section 123 of the Act to the extent it applies to declaration of dividend.

- vi. Based on our examination which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended 31 March 2026, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except that audit trail was not enabled at database layer for the period 1 April 2025 to 14 July 2025 and was not enabled throughout the year at the application layer in respect of one software used for maintaining purchase records.

Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with, in respect of accounting software for the period for which the audit trail feature was operating.

Additionally, for the periods where the audit trail (edit log) was enabled and operated, audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

3. As per section 378ZG of the Part XXIA of the Companies Act, 2013, we give in the '**Annexure C**' a statement on the matters specified in the that section.

For **S N Dhawan & CO LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 000050N/N500045

SD/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No.: 087701
UDIN: 26087701EPBBDQ6538

Place: Gurugram
Date: 6 August 2026

Annexure A to the Independent Auditor's Report

Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date to the members of **Ujalaa Milk Producer Company Limited** on the financial statements as of and for the year ended 31 March 2026

(i) In respect of the Company's Property, plant and equipment and intangible assets:

(a)

(A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.

(b) The Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management during the year and according to the information and explanation given to us, no material discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, the frequency of verification of the Property, Plant and Equipment is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.

(c) According to the information and explanations given to us and the records examined by us, the Company does not hold any immovable property (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) Accordingly, the provisions of clause 3(i)(c) of the Order are not applicable.

(d) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment and intangible assets during the year.

(e) There are no proceedings which have been initiated or are pending against the Company for holding benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and Rules made thereunder.

(ii)

(a) The management has conducted physical verification of inventory at reasonable intervals during the year. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures performed by us, we are of the opinion that the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate and no material discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed on physical verification as compared to the book records.

- (b) According to the information and explanations given to us, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crores, in aggregate, at any point of time during the year from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Accordingly, the provisions of clause 3(ii)(b) of the Order are not applicable.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships (LLPs) or any other parties. Accordingly, the provisions of clause 3(iii)(a) - (f) of the Order are not applicable.
- (iv) The Company has not granted any loan, made investment or provided guarantees or securities. Accordingly the provisions of clause 3(iv) of the Order are not applicable.
- (v) The Company has not accepted any deposits and in our opinion, the Company is not holding any amounts which are deemed to be deposits during the year. Further the Company had no unclaimed deposits at the beginning of the year. Accordingly, the provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
- (vi) The Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of Company's products/ services. Accordingly, the provisions of clause 3(vi) of the Order are not applicable.
- (vii) In respect of statutory dues:
- (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is regular in depositing undisputed statutory dues including goods and services tax, provident fund, income-tax, and other material statutory dues, as applicable to the Company, with the appropriate authorities during the year. There were no undisputed amounts payable in respect thereof which were outstanding at the year-end for a period of more than six months from the date they become payable.

We are informed that the operations of the company during the year, did not give rise to any liability for duty of customs, duty of excise, service tax, value added tax and sales tax.

- (b) According to the information and explanations given to us, there are no statutory dues referred to in sub-clause (a) that have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.

(viii) According to the information and explanations given to us, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

(ix)

(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender during the year.

(b) According to the information and explanations given to us, we report that the Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

(c) The Company has not availed any term loan during the year, accordingly provisions of clause 3(ix)(c) of the Order are not applicable during the year.

(d) On an overall examination of the financial statements of the Company, we report that funds raised on short-term basis have prima facie, not been used for long-term purposes by the Company.

(e) The Company did not have any subsidiary, associate or joint venture. Accordingly, the provisions of clause 3(ix)(e) of the Order are not applicable.

(f) The Company did not have any subsidiary, associate or joint venture. Accordingly, the provisions of clause 3(ix)(f) of the Order are not applicable.

(x)

(a) The Company had not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, the provisions of clause 3(x)(a) of the Order are not applicable.

(b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally). Accordingly, provisions of clause 3 (x)(b) of the order are not applicable.

(xi)

(a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) To the best of our knowledge, no report under sub-section (12) of Section 143 of the Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.

(c) As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the Company during the year and up to the date of this report.

(xii) The Company is not a Nidhi Company. Accordingly, the provisions of clause 3(xii)(a)-(c) of the Order are not applicable.

(xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with Section 188 of the Act, where applicable, and the requisite details have been disclosed in the financial statements etc., as required by the applicable accounting standards. The Company is a private limited Company, therefore, the provisions of Section 177 of the Act are not applicable to the Company.

(xiv)

(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date, for the period under audit.

(xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with its directors, hence provisions of Section 192 of the Act are not applicable to the Company.

(xvi)

(a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, provisions of clause 3 (xvi) (a) of the order are not applicable.

(b) The Company has not conducted any non-banking financial or housing finance activities during the year.

(c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, provisions of clause 3(xvi)(c) of the Order are not applicable.

- (d) The Group does not have any CIC as part of the Group.
- (xvii) The Company has not incurred cash losses in the current financial year and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- (xx) The provisions of Section 135 of the Act are not applicable to the Company during the year. Accordingly, reporting under clause 3 (xx) (a) and (b) of the order is not applicable for the year.
- (xxi) The Company has no subsidiary, associate or joint venture and the Company is not required to prepare consolidated financial statements. Accordingly, provisions of clause 3(xxi) of the Order are not applicable.

For **S N Dhawan & CO LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 000050N/N500045

Vinesh Jain
Partner
Membership No.: 087701
UDIN: 26087701EPBBDQ6538

Place: Gurugram
Date: 6 August 2026

Annexure B to the Independent Auditors Report on the Financial Statements of – Ujalaa Milk Producer Company Limited for the year ended 31 March 2026

Independent Auditor's report on the Internal Financial Controls with reference to Financial Statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

(Referred to in paragraph 2(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our Audit Report of even date)

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of Ujalaa Milk Producer Company Limited ("the Company") as of 31 March 2026 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Responsibilities of management and those charged with governance for internal financial controls

The Company's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal financial controls with reference to financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the 'Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of the Company's business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements.

Meaning of internal financial controls with reference to financial statements

A Company's internal financial controls with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial controls with reference to financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of Management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at 31 March 2026, based on the internal financial controls with reference to financial statements criteria established by the Company considering the essential components of such internal controls stated in the Guidance Note.

For **S N Dhawan & CO LLP**

Chartered Accountants

Firm's Registration No.:000050N/N500045

SD/-

Vinesh Jain

Partner

Membership No.: 087701

UDIN: 26087701EPBBDQ6538

Place: Gurugram

Date: 6 August 2026

Annexure C to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 3 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date to the members of **Ujalaa Milk Producer Company Limited** on the financial statements as of and for the year ended 31 March 2026)

- (i) The amount of debts due from sale of goods and services are disclosed in Note 15 to the financial statements. According to the information and explanations given to us no debts are considered as doubtful as of recovery.
- (ii) According to the information and explanations given to us, the company does not hold any cash on hand as at the year end. According to the information and explanation given to us, the Company does not hold any investment securities.
- (iii) The details of assets and liabilities as at 31 March, 2026 are as per financial statements of the Company as at end and for the year ended 31 March, 2026.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not done any transaction which appears to be contrary to the provisions of part XXIA of the Companies Act, 2013.
- (v) According to the information and explanation given to us, the Company has not granted any loan to its directors.
- (vi) According to the information and explanation given to us, the Company has not given any donations or subscriptions during the year.

For **S N Dhawan & CO LLP**

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 000050N/N500045

SD/-

Vinesh Jain

Partner

Membership No.: 087701

UDIN: 26087701EPBBDQ6538

Place: Gurugram

Date: 6 August 2026

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2026
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	Note No	As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
Equity and liabilities			
1 Shareholder's funds			
a. Equity share capital	3	378.79	368.48
b. Reserves and surplus	4	1,336.28	1,263.27
		1,715.07	1,631.75
2 Share application money pending allotment	34	-	5.98
3 Deferred grant	5	712.53	890.13
4 Non- current liabilities			
a. Long-term provisions	8	31.26	12.05
		31.26	12.05
5 Current liabilities			
a. Trade payables			
- Total outstanding dues of micro and small enterprises	6	1.77	-
- Total outstanding dues of other than micro and small enterprises	6	1,011.65	660.52
b. Other current liabilities	7	252.89	249.47
c. Short term provisions	8	2.24	23.56
		1,268.55	933.55
Total equity and liabilities		3,727.41	3,473.46
Assets			
1 Non-current assets			
a. Property, plant and equipment	9	854.83	880.91
b. Intangible assets	10	3.59	14.72
c. Deferred tax assets	11	4.49	2.46
d. Long-term loans and advances	12	26.57	0.11
e. Other non-current assets	13	355.09	623.75
		1,244.57	1,521.95
2 Current assets			
a. Inventories	14	153.34	119.35
b. Trade receivables	15	822.31	479.09
c. Cash and bank balances	16	1,380.61	1,282.33
d. Short-term loans and advances	17	20.77	5.53
e. Other current assets	13	105.81	65.21
		2,482.84	1,951.51
Total assets		3,727.41	3,473.46

See accompanying notes forming part of the financial statements

As per our report of even date attached

For S N Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors
Ujalaa Milk Producer Company Limited

SD/-
Anita Kumari
Director
DIN: 09689486

SD/-
Shweta Sharma
Director
DIN: 09616231

SD/-
Dinesh Chandra Choudhary
Director
DIN: 09011551

SD/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

SD/-
Vipul Jain
Company Secretary
M. No. A44791

SD/-
Ram Vijayvargiya
Asst. Manager Finance

Place: Gurugram
Date: 06-Aug-2026

Place: Kota
Date: 06-Aug-2026

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2026
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	Note No.	Year ended 31 March, 2026	Year ended 31 March, 2025
		Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
1 Revenue from operations	18	22,185.14	13,399.45
2 Other income	19	220.15	175.68
3 Total revenue (1 + 2)		22,405.29	13,575.13
4 Expenses			
a. Cost of material consumed	20	84.81	76.22
b. Purchase of stock-in-trade	21	19,933.53	11,241.70
c. Procurement expenses	22	809.05	668.43
d. Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade	23	(33.99)	(6.61)
e. Employee benefits expenses	24	196.08	167.29
f. Depreciation and amortisation expenses	25	4.07	0.70
g. Finance cost	26	-	2.22
h. Other expenses	27	1,280.59	1,125.11
Total expenses		22,274.14	13,275.06
5 Profit before tax (3 - 4)		131.15	300.07
6 Tax expenses			
a. Current tax		34.38	85.75
b. MAT Credit entitlement		-	(10.76)
c. Deferred tax credit		(2.03)	(2.46)
d. Tax related to earlier years		-	(1.38)
		32.35	71.15
7 Profit for the year (5 - 6)		98.80	228.92
8 Earnings per equity share (of Rupees 100 per share):			
a. Basic	28	27.45	71.20
b. Diluted	28	27.45	69.90

See accompanying notes forming part of the financial statements

As per our report of even date attached

For S N Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors
Ujalaa Milk Producer Company Limited

SD/-
Anita Kumari
Director
DIN: 09689486

SD/-
Shweta Sharma
Director
DIN: 09616231

SD/-
Dinesh Chandra Choudhary
Director
DIN: 09011551

SD/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

SD/-
Vipul Jain
Company Secretary
M. No. A44791

SD/-
Ram Vijayvargiya
Asst. Manager Finance

Place: Gurugram
Date: 06-Aug-2026

Place: Kota
Date: 06-Aug-2026

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2026
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	Year ended 31 March, 2026 Rs./ Lakh	Year ended 31 March, 2025 Rs./ Lakh
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	131.15	300.07
Adjustment for :		
Depreciation and amortisation expenses	4.07	0.70
Finance cost	-	2.22
Profit on sale/discard of property plant and equipment	(3.33)	(6.46)
Interest income	(130.95)	(117.98)
Operating profit before working capital changes	0.94	178.55
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Trade payables	352.90	77.10
Long-term provisions	19.21	(1.18)
Short term provisions	0.88	(0.29)
Other current liabilities	3.41	16.25
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	(33.99)	(6.61)
Trade receivables	(343.22)	(38.57)
Long-term loans and advances	(26.46)	1.88
Short-term loans and advances	(15.24)	2.09
Other current assets	(0.54)	35.78
Cash from operations	(42.11)	265.00
Income tax paid (net)	(56.59)	(35.55)
Net cash generated from/(used in) operating activities	(98.70)	229.45
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment (including capital-work-in progress and payable for property plant and equipment)	(144.46)	(5.05)
Sale of property, plant and equipment	3.33	6.46
Increase in other bank balances not classified as cash and cash equivalent	126.68	(323.05)
Interest Income received	90.89	112.69
Net cash from/(used in) investing activities	76.44	(208.95)
C. Cash flow from financing activities		
Proceeds from issue of equity shares (net)	4.33	52.97
Proceeds from issue of share application money	-	5.98
Dividend paid	(25.79)	(21.12)
Repayment of grant	-	(365.32)
Interest income on grant	-	3.21
Net cash generated used in financing activities	(21.46)	(324.28)
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents	(43.72)	(303.78)
Opening cash and cash equivalents	49.32	353.10
Closing cash and cash equivalents	5.60	49.32
Components of cash and cash equivalents		
Balance with bank:		
in current account	5.60	14.32
In fixed deposits account (original maturity of less than 3 months)	-	35.00
Cash and cash equivalents as per cash flow statement	5.60	49.32
Add: Fixed deposits with bank	1,375.01	1,233.01
Cash and bank balances as per Balance Sheet (Note 16)	1,380.61	1,282.33

See accompanying notes forming part of the financial statements

As per our report of even date attached

For S N Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors
Ujalaa Milk Producer Company Limited

SD/-
Anita Kumari
Director
DIN: 09689486

SD/-
Shweta Sharma
Director
DIN: 09616231

SD/-
Dinesh Chandra Choudhary
Director
DIN: 09011551

SD/-
Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

SD/-
Vipul Jain
Company Secretary
M. No. A44791

SD/-
Ram Vijayvarqiya
Asst. Manager Finance

Place: Gurugram
Date: 06-Aug-2026

Place: Kota
Date: 06-Aug-2026

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

1 Corporate Information

Ujalaa Milk Producer Company Limited ('the Company') was incorporated on 1 October 2020, under Part IXA of the Companies Act, 1956 with the main object to carry on the business of pooling, purchasing, processing of milk & milk products primarily of the members, to provide technical & managerial services in the area of breeding, feed/fodder, veterinary services to increase milk production for the benefit of the members and to deal in activities that are part of or incidental to any activity related thereto.

The company procures milk directly from milk producers through Milk Pooling Points (MPP) in villages of District Kota, Baran and Jhalawar and sells to dairies. The Company also trades in Cattle Feed.

2 Significant Accounting Policies

2.1 Basis of Accounting

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the New Act").

The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

All the assets and liabilities have been classified as current or non current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the Company and their realization in cash and cash equivalent, the Company has ascertained its operating cycle to be 12 month for the purpose of current- non current classification of assets and liabilities.

2.2 Use of estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialise.

2.3 Cash flow statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Accounting Standard (AS) 3 on 'Cash Flow Statement', whereby profit/(loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments.

The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an original maturity of three month or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.4 Revenue Recognition

Sales are recognised net of returns and trade discounts, on transfer of significant risk and rewards of ownership to the buyers. which generally coincides with the delivery of goods to customers.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

2.5 Other Income

Interest Income on deposits and admission fees from members are recognized on accrual basis.

2.6 Property, plant and equipment including intangibles

Property, plant & equipment and intangible assets are carried at cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. The cost of property, plant & equipment and intangible assets comprises their purchase price net of any trade discounts and rebates, other taxes (others than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying property, plant & equipment up to the date asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on property, plant & equipment after its purchase is capitalized only if such expenditure results in an increase in future benefits from such asset beyond its previous assessed standard of performance.

Capital work-in-progress:

Projects under which tangible fixed assets are not yet ready for their intended use are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable interest.

2.7 Depreciation and amortization

Depreciation on property, plant & equipment and intangible assets has been provided on straight line method (with out considering any residual value) as per the useful life of the assets, taking into account the nature of the asset, the estimated useful life of assets as estimated by the management, the operating condition of the asset, past history of replacements, anticipated technological changes, manufactured warranties and maintenance support etc. as under:

Description	Useful life
Plant and machinery	3 - 10 Years
Computer (including servers)	3 and 6 Years
Furniture and fixtures	10 Years
Office equipments	3 - 10 Years
Intangible assets	3 Years
Leasehold improvements	Over the lease term

Note:

Based on technical evaluation, the management believes that the useful lives as given above best represent the period over which the Management expects to use these assets. Hence, the useful lives for these assets is different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

2.8 Inventories

Inventories comprises of trading good (milk). Inventories are valued at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence and other losses, wherever considered necessary. Cost is determined using First In First Out (FIFO) method. Cost includes all charges incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Small tools, chemicals, stores and spares and consumables are charged to consumption as and when purchased.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

2.9 Grants

Grants and subsidies are recognized when there is reasonable assurance that the company will comply with the conditions attached to them and the grants/subsidies will be received. Grants related to depreciable Property, Plant & Equipment are treated as deferred grants which is recognised in the statement of profit and loss on a systematic and rational basis over the useful life of the asset i.e. depreciation charge on assets procured from such grants is appropriated from Deferred Grant and recognized in the statement of profit and loss by way of reduced depreciation charge.

Revenue government grants and subsidies are recognized as income over the periods necessary to match them with costs for which they are intended to compensate on a systematic basis.

2.10 Employee Benefits

Employee benefits includes Provident fund, Gratuity and Leave encashment.

i. Defined Contribution Plans :

The Company's contributions to provident fund is considered as defined contribution plan and are charged to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contributions required to be made as and when services are rendered by the employees.

ii. Defined Benefit Plans :

The Company's gratuity and leave encashment are considered as defined benefit plan. The present value of the obligation under such defined benefit plan is determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognises each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation is measured at the present value of the estimated future cash flows. The discount rate used for determining the present value of the obligation under defined benefit plans, is based on the market yields on government securities as at the balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

iii. Short-term employee benefits :

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange of services rendered by employees is recognised during the year when the employees render the service. These benefits include salaries, wages, bonus and performance incentives which are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short term compensated absences is accounted as under:

- a. in case of accumulated compensated absences, when employees render the services that increase their entitlement of future compensated absences; and
- b. in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

iv. Long-term employee benefits :

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the Balance Sheet date less the fair value of the plan assets, if any out of which the obligations are expected to be settled.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

2.11 Segment reporting

The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature of risks and returns and the internal organisation and management structure. The operating segments are the segments for which separate financial information is available and for which operating profit / loss amounts are evaluated regularly by the executive Management in deciding how to allocate resources and in assessing performance.

2.12 Earning Per Share:

The Company reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard, AS - 20, Earnings Per Share. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the result would be anti-dilutive.

2.13 Taxes on income

Income Tax expense comprises current tax and deferred tax. Current tax liability is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the applicable tax rates and provisions of Income Tax Act, 1961 and other applicable tax laws.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is highly probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

Deferred tax is recognised on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all timing differences. Deferred tax assets are recognised for timing differences of items other than unabsorbed depreciation and carry forward losses only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against which these can be realised. However, if there are unabsorbed depreciation and carry forward of losses and items relating to capital losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that there will be sufficient future taxable income available to realise the assets. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legally enforceable right for such set off. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date for their realisability.

2.14 Impairment of Asset

The carrying values of assets / cash generating units at each balance sheet date are reviewed for impairment if any indication of impairment exists.

If the carrying amount of the assets exceeds the estimated recoverable amount, impairment is recognised for such excess amount. The impairment loss is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss, unless the asset is carried at revalued amount, in which case any impairment loss of the revalued asset is treated as a revaluation decrease to the extent a revaluation reserve is available for that asset.

The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

When there is indication that an impairment loss recognised for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognised.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

2.15 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding retirement benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are not recognised in the financial statements.

2.16 Leases

Where the Company as a lessor leases assets under finance leases, such amounts are recognised as receivables at an amount equal to the net investment in the lease and the finance income is recognised based on a constant rate of return on the outstanding net investment.

Assets leased by the Company in its capacity as lessee where substantially all the risks and rewards of ownership vest in the Company are classified as finance leases. Such leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value and the present value of the minimum lease payments and a liability is created for an equivalent amount. Each lease rental paid is allocated between the liability and the interest cost so as to obtain a constant periodic rate of interest on the outstanding liability for each year.

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

2.17 Operating cycle

Based on the nature of products/ activities of the company and the normal time between acquisition of assets and their realisation in cash or cash equivalents, the company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

3 Share capital

a Authorised

Equity shares of Rs. 100/- each

	As at 31 March, 2026		As at 31 March, 2025	
	Number of shares	Rs./ Lakh	Number of shares	Rs./ Lakh
	1,000,000	1,000.00	1,000,000	1,000.00

b Issued, subscribed and paid up

Equity Shares of Rs. 100/- each fully paid up

	378,794	378.79	368,483	368.48
--	---------	--------	---------	--------

Notes:

- i. The Company has only one class of shares referred to as Equity Shares having a par value of Rs.100 per share. Every member shall have a single vote, provided that the member has poured milk for at least 200 days totalling to at least 500 litres in a year.
- ii. Members are entitled to limited returns (dividend) and bonus in accordance with Articles of Association of the Company.
- iii. Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the year

	As at 31 March, 2026		As at 31 March, 2025	
	Number of shares	Rs./ Lakh	Number of shares	Rs./ Lakh
Equity shares with voting rights				
Balance at the beginning of the year	368,483	368.48	301,753	301.75
Shares issued during the year	76,768	76.77	88,180	88.18
	445,251	445.25	389,933	389.93
Shares cancelled/surrendered during the year	66,457	66.46	21,450	21.45
Closing balance	378,794	378.79	368,483	368.48

- iv. The Company is registered under part XXI-A of the Companies Act, 2013 as 'Producer Company' and none of the member holds 5% or more of the share capital of the Company.
- v. As per Articles of Association of the Company, if board is satisfied that any member has failed to retain the qualification as a member, the board shall direct the member to surrender their shares to the Company at par value or such other value as determined by the Board. Surrendered equity share shall be deemed to be the property of the Company and may be sold to members or otherwise cancelled as the Board thinks fit.
- vi. No share has been issued for a consideration other than cash/bank or bonus during the year or 5 years immediately preceeding the financial year.

vii. Shares held by promoters*

Name of promoter	As at 31 March, 2026		As at 31 March, 2025		% Change
	No. of Shares held	% Holding	No. of Shares held	% Holding	
1 Anju Kewat	21	0.006%	21	0.006%	0.00%
2 Hemlata Meena	-	0.000%	13	0.004%	-100.00%
3 Kavita	-	0.000%	13	0.004%	-100.00%
4 Hem Kunwar	-	0.000%	10	0.003%	-100.00%
5 Kali Rathore	91	0.024%	91	0.025%	0.00%

* Promoter here means as defined under Companies Act,2013.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
4 Reserves and surplus		
a. General reserve		
Opening balance	1,033.94	577.60
Transfer from surplus in statement of profit and loss	229.33	456.34
Closing balance	1,263.27	1,033.94
b. Surplus in statement of profit and loss		
Balance at the beginning of the year	229.33	477.87
Add: Profit for the year	98.80	228.92
Less:		
Final limited return (final dividend) to members for the year ended 31 March, 2025 Rs. 7/- per share (Previous year Rs. 7 per share)	25.79	21.12
Transferred to general reserve	229.33	456.34
Closing balance	73.01	229.33
	1,336.28	1,263.27
5 Deferred grant		
Balance at the beginning of the year	890.13	1,086.01
Less: Depreciation pertaining to assets acquired from grant	176.67	192.10
Less: Deferred grant pertaining to asset discarded (see note 9)	0.93	3.78
	177.60	195.88
	712.53	890.13

Note:

- i. The grant received has been recognised as liability till the utilisation of the grant.

CIN: U01400RJ2020PTC071310

- a. Total outstanding dues of micro and small enterprises (See note iii below)
- b. Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises

As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
1.77	-
1,011.65	660.52
1,013.42	660.52

As at 31 March 2026

As at 31 March 2026	Outstanding for following periods					
	Unbilled (Accruals)	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Total outstanding dues of micro and small enterprises	-	1.77	-	-	-	1.77
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	137.04	874.61	-	-	-	1,011.65
(iii) Disputed dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues of creditors other than micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
	137.04	876.38	-	-	-	1,013.42

Outstanding for following periods

	Unbilled (Accruals)	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Total outstanding dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	112.77	547.22	0.36	0.17	-	660.52
(iii) Disputed dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues of creditors other than micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
	112.77	547.22	0.36	0.17	-	660.52

As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
Rs./ Lakh	Rs./ Lakh

0.17 0.05

a. the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year

- Principal	1.77	-
- Interest	-	-
b. the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of MSMED Act, 2006 along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;	-	-
c. the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act, 2006;	-	-
d. The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year;	-	-
e. the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006;	-	-
This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company and has been relied by the Auditors.	-	-

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
7 Other current liabilities		
a. Statutory remittances (Contributions to Provident fund, withholding taxes etc.)	11.70	7.45
b. Security deposits	240.56	218.72
c. Payable for share surrendered/cancelled	0.63	0.38
d. Grant refundable	-	22.92
	252.89	249.47
8 Provisions		
a. Long term provisions		
i. Provision for gratuity	12.70	4.60
ii. Provision for compensated absence	18.56	7.45
	31.26	12.05
b. Short term provisions		
i. Provision for income tax	-	22.20
ii. Provision for gratuity	0.12	0.01
iii. Provision for compensated absence	2.12	1.35
	2.24	23.56

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

9 Property, plant and equipment

	Furniture and fixture	Plant and machinery	Computers	Office equipment	Leasehold Improvements	Total
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Gross cost						
Balance as at 1 April,2024	22.82	1,153.04	53.06	10.68	49.62	1,289.22
Additions	0.45	4.01	-	0.59	-	5.05
Disposals	1.30	8.05	-	-	-	9.35
Balance as at 31 March, 2025	21.97	1,149.00	53.06	11.27	49.62	1,284.92
Additions	4.31	138.69	-	1.46	-	144.46
Disposals	-	4.20	-	-	-	4.20
Balance as at 31 March, 2026	26.28	1,283.49	53.06	12.73	49.62	1,425.18
Accumulated depreciation						
Balance as at 1 April,2024	3.38	185.99	27.99	4.93	10.61	232.90
Additions	2.23	153.34	12.99	2.61	5.51	176.68
Disposals	0.47	5.10	-	-	-	5.57
Balance as at 31 March, 2025	5.14	334.23	40.98	7.54	16.12	404.01
Additions	2.28	152.80	7.70	1.32	5.51	169.61
Disposals	-	3.27	-	-	-	3.27
Balance as at 31 March, 2026	7.42	483.76	48.68	8.86	21.63	570.35
Net carrying amount						
Balance as at 31 March, 2025	16.83	814.77	12.08	3.73	33.50	880.91
Balance as at 31 March, 2026	18.86	799.73	4.38	3.87	27.99	854.83

Notes:

The details of assets purchased from capital grant and included in the above schedule are given below:

	Furniture and fixture	Plant and machinery	Computers	Office equipment	Leasehold Improvements	Total
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Gross cost						
Balance as at 1 April,2024	22.82	1,152.69	53.06	9.22	49.62	1,287.41
Additions	-	-	-	-	-	-
Disposals	1.30	8.05	-	-	-	9.35
Balance as at 31 March, 2025	21.52	1,144.64	53.06	9.22	49.62	1,278.06
Additions	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	4.20	-	-	-	4.20
Balance as at 31 March, 2026	21.52	1,140.44	53.06	9.22	49.62	1,273.86
Accumulated depreciation						
Balance as at 1 April,2024	3.38	185.95	27.99	4.31	10.61	232.24
Additions	2.23	153.00	12.99	2.25	5.51	175.98
Disposals	0.47	5.10	-	-	-	5.57
Balance as at 31 March, 2025	5.14	333.85	40.98	6.56	16.12	402.65
Additions	2.15	149.27	7.70	0.91	5.51	165.54
Disposals	-	3.27	-	-	-	3.27
Balance as at 31 March, 2026	7.29	479.85	48.68	7.47	21.63	564.92
Net carrying amount						
Balance as at 31 March, 2025	16.38	810.79	12.08	2.66	33.50	875.41
Balance as at 31 March, 2026	14.23	660.59	4.38	1.75	27.99	708.94

10 Intangible assets

Gross Cost

	Softwares	Total
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Balance as at 1 April,2024	54.28	54.28
Additions	-	-
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2025	54.28	54.28
Additions	-	-
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2026	54.28	54.28
Accumulated amortisation		
Balance as at 1 April,2024	23.44	23.44
Additions	16.12	16.12
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2025	39.56	39.56
Additions	11.13	11.13
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2026	50.69	50.69
Net carrying amount		
Balance as at 31 March, 2025	14.72	14.72
Balance as at 31 March, 2026	3.59	3.59

Note:

Intangible asstes are purchased out of capital grant

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
11 Deferred tax assets		
(i) Tax effect of items constituting deferred tax assets:		
a. Provision for compensated absences and gratuity	8.43	3.73
b. On difference between book balance and tax balance of fixed assets	(3.94)	(1.27)
	<u>4.49</u>	<u>2.46</u>
Deferred tax charge transferred to statement of profit and loss	(2.03)	(2.46)
12 Long term loans and advances (Unsecured, considered good)		
a. Prepaid expenses	19.78	0.11
b. Advance income tax	6.79	-
	<u>26.57</u>	<u>0.11</u>
13 Other assets		
i. Non-current		
a. Security deposits	0.50	0.48
b. Fixed deposits with banks (with maturity of more than 12 months) (including accrued interest)	354.59	623.27
	<u>355.09</u>	<u>623.75</u>
ii. Current		
a. Interest accrued but not due on bank deposits	100.68	60.62
b. Advances to vendors	5.13	4.59
	<u>105.81</u>	<u>65.21</u>
14 Inventories (At lower of cost and net realisable value)		
i. Finished goods-Ghee	23.02	2.56
ii. Traded goods		
a. Raw bulk milk	100.28	94.19
b. Cattle feed and others	30.04	22.60
	<u>130.32</u>	<u>116.79</u>
	<u>153.34</u>	<u>119.35</u>

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
15 Trade receivables		
a. Secured, considered good	-	-
b. Unsecured, considered good	822.31	479.09
c. Doubtful	-	-
	<u>822.31</u>	<u>479.09</u>
Allowance for bad and doubtful debts		
a. Secured, considered good	-	-
b. Unsecured considered good	-	-
c. Doubtful	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>822.31</u>	<u>479.09</u>

Trade receivables ageing schedule

As at 31 March 2026

	Unbilled	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	822.31	-	-	-	-	822.31
(ii) Undisputed Trade receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>822.31</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>822.31</u>

As at 31 March 2025

	Unbilled	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	479.09	-	-	-	-	479.09
(ii) Undisputed Trade receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>479.09</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>479.09</u>

Note: The above ageing is computed from the date of transaction.

	As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
16 Cash and bank balances		
a. Cash and cash equivalents		
A. Balance with banks		
i. In current accounts	5.60	14.32
ii. In fixed deposits account (original maturity of less than 3 months)	-	35.00
Total - Cash and cash equivalents (as per AS 3 Cash Flow Statements) (A)	<u>5.60</u>	<u>49.32</u>
b. Other bank balance		
i. In fixed deposits account (original maturity of more than 3 months)	1,375.01	1,233.01
Total - Other bank balances (B)	<u>1,375.01</u>	<u>1,233.01</u>
Total Cash and bank balances (A+B)	<u>1,380.61</u>	<u>1,282.33</u>
17 Short term loans and advances (Unsecured, considered good)		
a. Prepaid expenses	20.77	5.53
	<u>20.77</u>	<u>5.53</u>

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	Year ended 31 March, 2026	Year ended 31 March, 2025
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
18 Revenue from operations		
a. Sale of products (see note i below)	22,168.23	13,382.89
b. Other operating income (see note ii below)	16.91	16.56
	22,185.14	13,399.45
Note:		
i. Sale of products comprises:		
Manufactured/ (processed) goods		
Ghee	90.33	59.22
Other milk products	-	-
	90.33	59.22
Traded goods		
Bulk milk	21,617.79	12,968.37
Cattle feed and others	460.11	355.30
	22,077.90	13,323.67
	22,168.23	13,382.89
ii. Other operating income		
a. AI charges received	16.13	16.56
b. Veterinary services fees	0.78	-
	16.91	16.56
19 Other income		
a. Admission fee from members	3.36	3.09
b. Recoveries	0.81	0.90
c. Interest income (see note 'i' below)	130.95	117.98
d. Profit on sale of property plant and equipment	3.33	6.46
e. Liabilities no longer required written back	22.92	-
f. Miscellaneous income	58.78	47.25
	220.15	175.68
Note:		
i. Interest income		
a. Interest income on fixed deposits	130.92	120.51
Less: Amount transferred to un-utilized grant	-	(3.21)
	130.92	117.30
b. Interest income on other	0.03	0.68
	130.95	117.98

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	Year ended 31 March, 2026	Year ended 31 March, 2025
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
20 Cost of Material Consumed		
a. Opening stock	-	-
b. Add: Purchases	84.81	76.22
	84.81	76.22
c. Less: Closing stock	-	-
	84.81	76.22
21 Purchases of traded goods		
a. Purchases of bulk milk	19,501.74	10,906.16
b. Purchases of cattle feed and others	431.79	335.54
	19,933.53	11,241.70
22 Procurement expenses		
a. Labour charges	14.54	9.54
b. Chemicals and consumables	45.96	32.88
c. Freight inward	461.71	454.21
d. Price incentive	111.18	89.99
e. Sahayak incentive	175.66	81.81
	809.05	668.43
23 Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade		
a. Inventories at the beginning of the year		
Finished goods	2.56	4.69
Stock in trade	116.79	108.05
b. Inventories at the end of the year		
Finished goods	23.02	2.56
Stock in trade	130.32	116.79
Net decrease/ (increase) in inventories	(33.99)	(6.61)
24 Employee benefit expenses		
a. Salary, wages and allowances	173.49	151.06
b. Gratuity expense	8.59	3.34
c. Contribution towards provident fund and other funds	9.38	8.32
d. Staff welfare expense	4.62	4.57
	196.08	167.29

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	Year ended 31 March, 2026	Year ended 31 March, 2025
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
25 Depreciation and amortisation expenses		
a. Depreciation on property, plant and equipment	169.61	176.68
b. Amortisation of intangible assets	11.13	16.12
	180.74	192.80
Less: Pertaining to assets acquired on grant		
a. Depreciation on property, plant and equipment	165.54	175.98
b. Amortisation of intangible assets	11.13	16.12
	176.67	192.10
	4.07	0.70
26 Finance cost		
a. Interest on delayed payment of statutory dues	-	2.22
	-	2.22
27 Other expenses		
a. Power and fuel charges	44.43	22.19
b. Rent	31.88	25.71
c. Contractual manpower charges	153.63	138.29
d. Milk chilling expense	156.26	155.16
e. Repair and maintenance		
- others	39.56	15.47
f. Rates and taxes	4.93	10.18
g. Communication expenses	7.88	7.19
h. Distribution, freight and forwarding	602.49	558.26
i. Legal and professional fees	68.24	52.41
j. Payments to auditors (see note below)	2.27	2.06
k. Director sitting fees	3.70	2.63
l. Meeting and training expenses	19.01	5.00
m. Travelling and conveyance	58.25	52.78
n. Printing and stationery	21.04	15.10
o. Advertisement and marketing expenses	0.32	0.24
p. Maits incentive	31.66	33.05
q. AI expenses	2.15	2.72
r. Corporate social responsibility (refer note 35)	-	7.50
s. Veterinary Ven expenses	5.21	
t. Miscellaneous expenses	27.68	19.17
	1,280.59	1,125.11
Note:		
Payments to the auditors comprise (including goods and services tax)		
- Statutory audit fees	1.82	1.65
- Tax audit fees	0.45	0.41
	2.27	2.06

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	Year ended 31 March, 2026 Rs./ Lakh	Year ended 31 March, 2025 Rs./ Lakh
28 Earning per share		
Basic		
a. Net profit after tax available for equity share holders	98.80	228.92
b. Weighted number of equity shares of Rs.100 each (Number of shares)	359,866	321,507
c. Nominal value per Equity Shares (Rs.)	100.00	100.00
d. Basic earnings per share (a/b) (Rs.)	27.45	71.20

Diluted

The diluted earnings per share has been computed by dividing the Net profit after tax available for Equity shareholders by the weighted average number of equity shares, after giving dilutive effect of the share application money for the respective periods.

a. Net profit after tax available for equity share holders	98.80	228.92
b. Weighted average number of equity shares for Basic EPS	359,866	321,507
Add: Effect of share application money	-	5,983
Weighted average number of equity shares - for Diluted EPS	359,866	327,490
c. Nominal value per equity shares	100.00	100
d. Diluted-Basic earnings per share	27.45	69.90

29 Commitments and contingencies

- a. The estimated amount of contracts remaining to be executed on capital amount and not provided for (net of advances) amount to Rs. Nil (Previous year Rs. Nil Lakhs)
- b. The Company has other commitments for services in normal course of business, the Company's operations does not give raise to any commitments for purchase of goods and employee benefits.
- c. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- d. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its financial statements. Contingent liabilities Rs. Nil (Previous year Rs. Nil).
- e. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

- 30** The Company's strategic steering committee, examines the Company's performance on the basis of sales of goods, the Company engaged in the business of trading of milk and operates in single geographical segment in India only hence the reporting requirements for segment disclosure as prescribed by AS 17 are not applicable.

31 Leasing arrangements
Operating lease

- a. The Company has taken premises under cancellable and non cancellable operating leases. Rent amounting to Rs. 31.88 Lakh (Previous year Rs. 25.71 Lakh) has been debited to the Statement of Profit and Loss during the year. The future minimum lease payments under these operating leases as of 31 March, 2026 are as follows:

Operating lease rentals	As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
Due within 1 year	9.04	8.78
Due between 1 to 5 years	-	-
Above 5 years	-	-
	9.04	8.78

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

32 Related parties

A. List of Related Parties:

i. Key management personnel	
Name	Designation
Anita Kumari	Chairman & Director
Kavita	Director (upto 26 September 2024)
Shweta Sharma	Director
Savita Choudhary	Director
Anuradha Meena	Director
Vidhya Bhanwar	Director
Jaswinder Kaur	Director (form 16 July 2024 to 9 December 2025)
Reena Kumari	Director (w.e.f. 16 July 2024)
Sangeeta Kumari Dangi	Director (w.e.f. 16 July 2024)
Lalita Bai	Director (form 16 July 2024 to 9 December 2025)
Amisha Gautam	Director (w.e.f. 19 September 2025)
Urmila Kumari Meena	Director (w.e.f. 19 September 2025)
Manju Bai	Director (w.e.f. 19 September 2025)
Alok Kumar Gupta	Expert Director (upto 15 May 2025)
Surya Prakash Gupta	Expert Director (w.e.f. 13 November 2024)
Narinder Singh Bahga	Expert Director (w.e.f. 15 July 2025)
Dinesh Chandra Choudhary	Chief Executive and Executive Director

B. Transactions with the Related Parties

		Year ended 31 March, 2026	Year ended 31 March, 2025
		Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
Dinesh Chandra Choudhary	Remuneration	-	11.97
		-	11.97
Kavita	Sitting fees	-	0.06
Anita Kumari	Sitting fees	0.34	0.28
Shweta Sharma	Sitting fees	0.34	0.23
Savita Choudhary	Sitting fees	0.22	0.17
Anuradha Meena	Sitting fees	0.34	0.24
Vidhya Bhanvar	Sitting fees	0.34	0.26
Jaswinder Kaur	Sitting fees	0.22	0.24
Reena Kumari	Sitting fees	0.34	0.24
Sangeeta Kumari Dangi	Sitting fees	0.34	0.24
Lalita Bai	Sitting fees	0.06	0.24
Amisha Gautam	Sitting fees	0.17	-
Urmila Kumari Meena	Sitting fees	0.22	-
Manju Bai	Sitting fees	0.22	-
		3.15	2.23
Dinesh Chandra Choudhary	Reimbursement of expenses	2.00	0.99
Anita Kumari	Reimbursement of expenses	0.02	0.01
Shweta Sharma	Reimbursement of expenses	0.01	0.01
Savita Choudhary	Reimbursement of expenses	0.02	0.02
Anuradha Meena	Reimbursement of expenses	0.01	0.01
Vidhya Bhanvar	Reimbursement of expenses	-	0.01
Jaswinder Kaur	Reimbursement of expenses	0.01	0.02
Reena Kumari	Reimbursement of expenses	-	0.01
Sangeeta Kumari Dangi	Reimbursement of expenses	0.01	0.01
Lalita Bai	Reimbursement of expenses	-	0.01
Amisha Gautam	Reimbursement of expenses	0.01	-
Manju Bai	Reimbursement of expenses	0.01	-
		2.07	1.07
Anita Kumari	Purchase of milk	2.97	2.33
Shweta Sharma	Purchase of milk	1.72	1.71
Savita Choudhary	Purchase of milk	0.42	0.29
Vidhya Bhanvar	Purchase of milk	1.06	0.85
Anuradha Meena	Purchase of milk	0.44	0.25
Lalita Bai	Purchase of milk	-	1.03
Sangeeta Kumari Dangi	Purchase of milk	0.85	0.20
Reena Kumari	Purchase of milk	0.81	0.73
Jaswinder Kaur	Purchase of milk	-	0.61
Amisha Gautam	Purchase of milk	0.57	-
Urmila Kumari Meena	Purchase of milk	2.42	-
Manju Bai	Purchase of milk	1.13	-
		12.39	8.00

C. Balance outstanding as at year end

i. Dinesh Chandra Choudhary	As at 31 March, 2026 Rs./ Lakh	As at 31 March, 2025 Rs./ Lakh
	0.17	0.05
	0.17	0.05

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

33 Employee benefits

A. Defined contribution plan

The Company offers its employees defined contribution plan in the form of Provident Fund. Provident Fund cover all regular employees. Provident Fund Contribution is deposited with the Regional Provident Fund Commissioner (RPFC). Both the employees and the Company pay predetermined contributions into the provident fund. The contributions are normally based on ascertain proportion of the employee's salary.

The Company's contributions towards provident fund is charged to the Statement of Profit and Loss comprises

	Year ended 31 March, 2026	Year ended 31 March, 2025
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
a. Contribution towards provident fund, esi and labour welfare	9.38	8.32

B. Defined-benefits plan

The Company offers its employees defined-benefit plan in the form of a gratuity scheme (a lump sum amount). Benefits under the defined benefit plan is based on years of service and the employee's compensation (immediately before separation). The gratuity scheme covers all regular employees. Actuarial valuation is done based on "Projected Unit Credit" method. Gains and losses of changed actuarial assumptions are charged to the Statement of Profit & Loss.

The following tables set out the status of the defined benefit scheme in respect of Gratuity and amount recognised in the financial statements.

	Year ended 31 March, 2026	Year ended 31 March, 2025
	Rs./ Lakh	Rs./ Lakh
i. Changes in present value of benefit obligation		
Present value of benefit obligation at beginning of the year	4.61	4.75
Current service cost	3.83	1.93
Interest cost	0.31	0.22
Benefit paid	(0.38)	(3.48)
Actuarial losses/ (gains)	4.45	1.19
Present value of benefit obligation at end of the year	12.82	4.61
ii. Amount Recognized in the Balance Sheet		
Present Value of Benefit Obligation at end of the year	12.82	4.61
Net Liability recognized in Balance Sheet	12.82	4.61
iii. Expenses Recognized in the Statement of Profit and Loss		
Current Service cost	3.83	1.93
Interest cost	0.31	0.22
Net actuarial losses (gains) recognized in the year	4.45	1.19
Expenses recognized in Statement of Profit and Loss	8.59	3.34
iv. Balance Sheet Recognition		
Net liability at the beginning of the year	4.61	4.75
Expenses as above	8.59	3.34
Benefit paid	(0.38)	(3.48)
Net liability at the end of the year	12.82	4.61
v. Net liabilities recognised in the balance sheet		
Short-term provisions	0.12	0.01
Long-term provisions	12.70	4.60
	12.82	4.61

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

	Year ended 31 March, 2026 Rs./ Lakh	Year ended 31 March, 2025 Rs./ Lakh
vi. Principal actuarial assumptions		
Discount rate	8.12% p.a.	7.00% p.a.
Expected salary escalations	10.00% p.a.	7.00% p.a.
Attrition rate	5.00% p.a.	5.00% p.a.
(5% at younger ages and reducing to 1% at older ages according to graduated scale)		
Mortality table used	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate	

34 Share application money pending allotment

As at 31 March 2026, the Company has not received any amount towards share application money (As at 31 March 2025, Rs.5.98 lakhs towards share application money toward 5983 equity shares) at a premium of Rs. Nil (As at 31 March 2025, Rs.Nil).

- 35** As per Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company has not met the prescribed applicability thresholds for Corporate Social Responsibility ("CSR") and, accordingly, the provisions relating to CSR are not applicable to the Company.

(a) Contribution to CSR

	Year ended 31 March, 2026 Rs./ lakh	Year ended 31 March, 2025 Rs./ lakh
Amount required to be spent during the year (A)	-	8.68
Shortfall/(Surplus) amount of previous year (B)	-	(1.18)
Total (A+B)	-	7.50
Amount spent on CSR	-	7.50
Shortfall/(Surplus) amount of current year (C)	-	-

(b) Details of CSR expenses incurred towards:

Eradicating malnutrition and promoting health care	-	7.50
	-	7.50

(c) Details of CSR expenditure under section 135(5) of the Act in respect of other than ongoing projects:

Balance as at the beginning of the year	-	-
Amount required to be spent during the period	-	7.50
Amount deposited in a specified fund of Schedule VII of the Act with in 6 months	-	-
Amount spent during the year	-	7.50
Balance as at the closing of the year	-	-

(d) The Company has not contributed in the nature of CSR expenditure to related party covered under AS 18. Related party disclosures.

(e) The Company does not have any ongoing projects as at 31 March 2026.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

36 Disclosure of financial ratios

Particulars	Numerator	Denominator	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025	Variance %	Reason for variance
a. Current ratio	Current assets	Current liability	1.96	2.09	-6%	
b. Debt equity ratio	Total debt	Equity shareholder's fund	NA	NA	-	
c. Debt service coverage ratio	Net operating Income	Total debt service	NA	NA	-	
d. Return on equity ratio	Net income	Equity shareholder's fund	5.76%	14.03%	-59%	Note 1
e. Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average inventory	146.57	97.47	50%	Note 2
f. Trade receivables turnover ratio	Net sales	Average trade receivables	34.09	29.14	17%	
g. Trade payables turnover ratio	Net purchases	Average trade payables	23.82	18.07	32%	Note 4
h. Net capital turnover ratio	Net sales	Working capital	18.27	13.16	39%	Note 3
i. Net profit ratio	Net profit	Net sales	0.45%	1.71%	-74%	Note 1
j. Return on capital employed	Earning before interest and tax	Capital employed	5.33%	11.81%	-55%	Note 1
k. Return on investment	Earning on investments	Average investments	NA	NA	-	

Working of the ratios

Basis of ratios	Year ended 31 March 2026	Ratio	Year ended 31 March 2025	Ratio
a. Current ratio Current assets Current liability	2,482.84 1,268.55	1.96	1,951.51 933.55	2.09
b. Debt Equity ratio Total debt (Long term debt+Short term debt+Capital lease obligation) Equity shareholder's fund (Share capital+ Reserves and surplus)	0.00 1,715.07	-	0.00 1,631.75	-
c. Debt service coverage ratio	NA		NA	
d. Return on equity ratio Net operating income (PAT) Equity shareholder's fund (Share capital+ Reserves and surplus)	98.80 1,715.07	5.76%	228.92 1,631.75	14.03%
e. Inventory turnover ratio Cost of goods sold Average inventory (opening inventory+closing inventory)/2	19,984.35 136.35	146.57	11,311.31 116.05	97.47
f. Trade receivables turnover ratio Net sales (Total sales - Sales return) Average trade receivables [(Opening debtors +Closing debtors) / 2]	22,185.14 650.70	34.09	13,399.45 459.81	29.14
g. Trade payables turnover ratio Net Purchases (purchases - purchases returns) Average trade payables [(opening trade payables+closing trade payables)/2]	19,933.53 836.97	23.82	11,241.70 621.97	18.07
h. Net capital turnover ratio Net sales (Total sales - Sales return) Working capital = Current assets - Current liabilities	22,185.14 1,214.29	18.27	13,399.45 1,017.96	13.16
i. Net profit ratio Net profit Net sales (Total sales - Sales return)	98.80 22,185.14	0.45%	228.92 13,399.45	1.71%
j. Return on capital employed Earnings before interest and tax Capital employed = Total assets - Current liabilities	131.15 2,458.86	5.33%	300.07 2,539.91	11.81%
k. Return on investment	NA		NA	

Notes:

- During the current year, there has been a decrease in profitability resulting in a decrease in the return on capital employed, net profit ratio, and return on equity ratio.
- During the current year, the Company's inventory turnover ratio increased primarily due to an increase in the cost of goods sold.
- The increase in net capital turnover ratio during the current year is due to a substantial increase in net sales.
- The increase in the trade payables turnover ratio during the current year is primarily on account of a substantial increase in purchases during the year, which was proportionately higher than the increase in average trade payables.

UJALAA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
CIN: U01400RJ2020PTC071310

37 Other statutory information

- a. During the current financial year, company has not undertaken any transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.
 - b. No penalties were imposed by the regulator during the year during the financial year ended 31 March, 2026.
 - c. There are no such transaction which are not recorded in the books of account earlier and have been surrendered or disclosed as income during the current financial year in the tax assessments under the Income tax act, 1961
 - d. During the current year company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium) to any other person(s) or entities, including foreign entities (intermediaries)
 - e. The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year
 - f. The Company do not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the Company for holding any Benami property.
 - g. The Company have not received any fund from any person or entity, including foreign entity (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries
 - h. The Company have not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries
 - i. During the year, the Company does not have any working capital limit, hence not required to submit quarterly stock statement with the banks/financial institutions
 - j. The Company has not made any further investments in any company, hence clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable on the Company.
- 38** In the opinion of the Board of Directors, the assets other than property, plant and equipment, intangible assets have a realisation value in the ordinary course of business at least equal to the amounts at which they are stated.
- 39** All assets and liabilities are presented as Current or Non-current as per criteria set out in Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the company, its operations and realization, the company has ascertained its operating cycle of less than 12 months. Accordingly 12 months period has been considered for the purpose of Current/ Non-current classification of assets and liabilities.
- 40** The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 5 May, 2026, approved a Scheme of Amalgamation ("the Scheme") between Ujalaa Milk Producer Company Limited and Asha Milk Producer Company Limited under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013. The Scheme provides for the amalgamation of Asha Milk Producer Company Limited with and into Ujalaa Milk Producer Company Limited and is subject to receipt of the requisite statutory, regulatory and shareholder approvals, including the approval of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT).
- 41** 'In respect of the year ended March 31, 2026, the directors in their meeting dated 06 August 2026 have proposed a final dividend of Rs. 7 per share to be paid on fully paid equity shares. The equity dividend is subject to approval by shareholders at the Annual General Meeting and has not been included as a liability in the financial statements. The proposed equity dividend is payable to all holders of fully paid equity shares..
- 42** During the financial year 2023-24, the Company identified misappropriation of funds by two employees of the Company through manipulation of vendor payments on multiple occasions amounting to Rs. 83.81 lakhs. The Company had taken legal action.
- During the previous year, the Company had further recovered Rs. 5.00 lakhs, which was credited to other income, thereby aggregating the total recovery to Rs. 40.70 lakhs. Legal proceedings are ongoing for the recovery of the balance amount of Rs. 43.11 lakhs.
- 43** Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For S N Dhawan & CO LLP
 Chartered Accountants
 Firm's Registration No. 000050N/N500045

For and on behalf of the Board of Directors
Ujalaa Milk Producer Company Limited

SD/-
Anita Kumari
 Director
 DIN: 09689486

SD/-
Shweta Sharma
 Director
 DIN: 09616231

SD/-
Dinesh Chandra Choudhary
 Director
 DIN: 09011551

SD/-
Vinesh Jain
 Partner
 Membership No. 087701

SD/-
Vipul Jain
 Company Secretary
 M. No. A44791

SD/-
Ram Vijavvarqiya
 Asst. Manager Finance

Place: Gurugram
 Date: 06-Aug-2026

Place: Kota
 Date: 06-Aug-2026

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01400RJ2020PTC071310

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम मंजिल, प्लॉट नंबर 110-111A, आर.के.पुरम, काला बादल सामुदायिक भवन के पास,

कोटा राजस्थान 324010

ईमेल: info@ujalaamilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सदस्य कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की दिन सोमवार सितंबर माह की 28 तरीक को होटल 5 फ्लावर अनन्ता इलाइट, एसपी-03, चंबल इंडस्ट्रियल एरिया, नया बस स्टैंड कोटा, राजस्थान-324 007 में 12:30 बजे में होने वाली सतवी वार्षिक आम सभा में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ।

अंशधारक का नाम

प्रतिनिधि का नाम

(अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही हो तो)

(ए) भाग लेने के लिए

(बी) भाग लेने एवं वोट करने के लिए

अंशधारक/प्रोक्सी के हस्ताक्षर

जो लागू नहीं होता उसे काट दे

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01400RJ2020PTC071310

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम मंजिल, प्लॉट नंबर 110-111A, आर. के. पुरम, काला बादल सामुदायिक भवन के पास,
कोटा राजस्थान 324010

ईमेल: info@ujalaamilk.com

फार्म संख्या एमजीटी-11

प्रतिनिधि फॉर्म

कंपनी अधिनियम की धारा 105(6) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन नियम 2014 के नियम 19(3) के अनुशरण में)

सदस्या का नाम	
पता	
ई-मेल	
फोलियो संख्या	

मैंउजाला महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अंशों की
सदस्या होते हुए एतद्वारा

1. श्रीमती फोलियो
पता ई-मेल.....
हस्ताक्षर.....या उनकी अनुपस्थिति में

को कंपनी की सोमवार सितंबर माह की 28 तरीक को होटल 5 फ्लावर अनन्ता इलाइट, एसपी-03, चंबल इंडस्ट्रियल
एरिया, नया बस स्टैंड कोटा, राजस्थान-324 007 में 12:30 बजे अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली
सतवी वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने एवं आगे वर्णित प्रस्तावों संख्या _____/
सभी के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ।

दिनांक2026 को हस्ताक्षर किये गए।

अंशधारक के हस्ताक्षर:

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत
कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्या होना अनिवार्य है।

रूपये एक
का रेवेन्यु
टिकट लगाये

सहमति फॉर्म
उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01400RJ2020PTC071310

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम मंजिल, प्लॉट नंबर 110-111A, आर.के.पुरम, काला बादल सामुदायिक भवन के पास,
कोटा राजस्थान 324010

ईमेल: info@ujalaamilk.com

सदस्य का नाम :

पंजीकृत पता :

फोलियो संख्या / DPID-Client ID:

ईमेल आई डी :

मैं, कट-ऑफ तिथि यानी 06 अगस्त 2026 को कंपनी के सदस्य के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZN के अंतर्गत निम्नलिखित

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव
1.	प्रस्ताव — आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("आशा") के उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("उजाला") में विलय

— हेतु अपनी सहमति एतद्वारा प्रदान करता/करती हूँ।

सदस्य के हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्थान :

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01400RJ2020PTC071310

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम मंजिल, प्लॉट नंबर 110-111A, आर.के.पुरम, काला बादल सामुदायिक भवन के पास,

कोटा राजस्थान 324010

ईमेल: info@ujalaamilk.com

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement)

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं.....निवासी.....उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हूँ। मेने कंपनी द्वारा भेजी गयी सतवी वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नको के साथ प्राप्त कर लिया है।

सदस्या के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....

यह अंग्रेजी प्रति का अनुवादित संस्करण है। गलत मुद्रण, त्रुटि या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी प्रति को अंतिम माना जाएगा।

